खण्ड–510, अंक–05
मंगलवार, 10 पौष, शक संवत् 1941
(31 दिसम्बर, 2019 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, चतुर्थ सत्र, 2019)

(खण्ड 510 में 05 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2019

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
वन्दे मातरम्	7
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 (सदन के पटल पर रखा गया)	7
संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 में संशोधन का अनुसमर्थन के संकल्प का प्रस्ताव (स्वीकृत)	8-23
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार ...	23-24
मा0 राजनारायण की पुण्यतिथि पर शोक प्रस्ताव (स्वीकृत)	24-28
उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	28
उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)...	28
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	29
उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	29
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)...	29
सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	29
उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2019 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	29-30
उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	30
उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	30
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	30

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	30-31
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	31
श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजबाद से सम्बन्धित तीन याचिकायें (व्यपगत)	31
श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली व उन्नाव से सम्बन्धित एक-एक याचिका (उपस्थित की गई)	32
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की गई)	32
श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की गई)...	32-33
श्रीमती साधना सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	33
श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित तीन याचिकायें (उपस्थित की गईं)	33
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गई)	33
डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गई)	33
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित तीन याचिकायें (उपस्थित की गईं)	34
श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित दो याचिकायें (उपस्थित की गईं)	34
श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गई)	34-35
जनहित में जनता के उपयोगार्थ कम्बल, गीजर, वाटर कूलर व ए0सी0 आदि विधायक निधि से खरीदे जाने की मांग	35
एन0आर0सी0 का विरोध कर रहे लोगों के साथ निर्दोष लोगों को भी जेल भेजे जाने का प्रकरण	35-36

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	36-38
जनपद जौनपुर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् शाहगंज का सीमा विस्तार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	38
जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत विज्ञापन पट हेतु नियमावली न बनाये जाने से हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	38-39
प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39
प्रदेश में धान की फसल में गंडुआ रोग से फसल में हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39-40
जनपद अलीगढ़ में सहकारी चीनी मिल साथा की क्षमता बढ़ोत्तरी के साथ डिस्टिलरी यूनिट, एथेनाल प्लान्ट एवं पावर प्लान्ट लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40
जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत करौंदी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40-41
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत गांव टपरी एवं सडोली हदिया पर रपटा (पुलिया) बनाकर सैकड़ों किसानों की जान माल की रक्षा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	41
जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र मिलक शाहाबाद अन्तर्गत कन्या डिग्री कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	41-42
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के अन्तर्गत ग्राम गढ़ियारंगीन की अंदरूनी मार्ग की मरम्मत एवं डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद मथुरा में ठण्ड के भीषण प्रकोप से जनमानस को बचाने हेतु प्रशासन द्वारा निष्क्रियता दिखाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42
बरेली सदर के अन्तर्गत कतिपय सड़कों एवं नालियों का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में तटबन्ध एवं पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	43

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत पैतेलपुर पुल से कैशवारा डामर तक स्वीकृत रोड का कार्य पूर्ण एवं भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	43-44
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास के अन्तर्गत ट्रान्सफारमर्स को अपग्रेड एवं जर्जर तारों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	44
जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर के अन्तर्गत बडहरी गांव के भरत नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के अन्तर्गत प्रतापपुर चर्मुखा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद बरेली के अन्तर्गत कस्बा शाही एवं दिनरा मिर्जापुर के बीच किच्छा नदी पर एप्रोच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत आई0टी0आई0 मवई के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46
जनपद बस्ती के कतिपय ग्रामों में सरकार द्वारा शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु स्थापित नवनिर्मित ओवरहेड टैंक के निर्माण की टी0ए0सी0 जांच कराये जाने तथा जल रिसाव एवं ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46-47
फिरोजाबाद सदर के अन्तर्गत प्रदीप नगर के ढोलपुरा पर एस0 गोपाल इण्डस्ट्रीज से लेकर अमित रिसॉर्ट तक सर्विस रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47
जनपद बरेली के कतिपय नगर पंचायतों में जानवरों के अवैध कटान एवं दोषियों के खिलाफ जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48
जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां के अन्तर्गत जमींदारी पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ..	48
गोरखपुर महानगर में देवरिया रोड पर नगर विकास विभाग के अन्तर्गत जल निगम द्वारा बनाये जा रहे नाले के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48-49

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी के अन्तर्गत जैतपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	50
जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत कतिपय गांवों में 33/11 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक नहर की पिच मार्ग से ग्राम सभा रम्मनपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	51
जनपद उन्नाव के ब्लाक सफीपुर के अन्तर्गत ओसिया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	51
जनपद फतेहपुर के निहाल अहमद निवासी लल्लू मियां की जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51-52
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा कसारा में खेल के मैदान की बाउण्ड्रीवॉल व खेल सामग्री उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52
जनपद जौनपुर के अन्तर्गत एन0एच0 56 (मिश्रौली) बघाड़ी कला इमिलियाघाट से पट्टी नरेन्द्रपुर होते हुए लखनऊ, बलिया मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	52
जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र अजगरा के अन्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	53
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत अड्डा से कल्यानी एवं गंगा विशुनपुर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53
बलरामपुर सदर के अन्तर्गत के0जी0एम0यू0 का सेटेलाइट सेन्टर का शिलान्यास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	53
समाज कल्याण विभाग मथुरा द्वारा अनियमित रूप से पिछले तीन वर्षों से मानकता पूर्ण न होने पर भी आई0टी0आई0, बी0एड0 पाठ्यक्रम में विद्यालयों को अनियमित रूप से फर्जी छात्रवृत्ति व फीस प्रदान करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	54
जनपद मिर्जापुर के रामपुर-गोपीगंज मार्ग पर गंगा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54-55

विषय				पृष्ठ-संख्या
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	...	...	55
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	...	...	...	56-60
संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सभी सदस्यों को नव वर्ष की शुभकामनायें			...	60
प्रदेश में शीतलहर से बचाव हेतु कम्बलों एवं अलाव हेतु धन अवमुक्त किये जाने की सूचना	...	...	...	60
सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	...	...	60
राष्ट्रगान	...	...	...	61

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-309

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 इलाहाबाद
3. अजय कुमार लल्लू, श्री कुशीनगर
4. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री बस्ती
5. अजीत पाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
6. अजीत सिंह पाल, श्री कानपुर देहात
7. अतुल गर्ग, श्री गाजियाबाद
8. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
9. अनिल कुमार मौर्य, डा0 सोनभद्र
10. अनिल पाराशर, श्री अलीगढ़
11. अनिल राजभर, श्री वाराणसी
12. अनिल सिंह, श्री उन्नाव
13. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 बुलन्दशहर
14. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती बहराइच
15. अनुराग सिंह, श्री मिर्जापुर
16. अनूप प्रधान, श्री अलीगढ़
17. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
18. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री प्रतापगढ़
19. अभिजीत सिंह सांगा, श्री कानपुर नगर
20. अमन मणि त्रिपाठी, श्री महाराजगंज
21. अमर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
22. अमर सिंह चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
23. अमिताभ बाजपेई, श्री कानपुर नगर
24. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री लखनऊ
25. अरूण कुमार, डॉ0 बरेली
26. अरूण कुमार यादव, श्री आजमगढ़
27. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती कन्नौज
28. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री खीरी
29. अविनाश त्रिवेदी, श्री लखनऊ
30. आनन्द शुक्ला, श्री चित्रकूट
31. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
32. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
33. आलमबदी, श्री आजमगढ़
34. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री हरदोई
35. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
36. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
37. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
38. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
39. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
40. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
41. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
42. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
43. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
44. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
45. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
46. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
47. काली प्रसाद, श्री देवरिया
48. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
49. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
50. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
51. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
52. केसर सिंह, श्री बरेली

53. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
54. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
55. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
56. गंगा, श्री कुशीनगर
57. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
58. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
59. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
60. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
61. गौरी शंकर, श्री जालौन
62. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
63. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
64. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
65. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
66. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
67. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
68. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
69. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
70. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
71. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
72. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
73. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
74. जयमंगल, श्री महाराजगंज
75. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
76. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
77. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
78. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
79. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
80. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
81. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
82. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
83. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
84. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
85. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
86. दल बहादुर, श्री रायबरेली
87. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
88. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
89. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
90. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
91. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
92. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
93. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
94. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
95. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
96. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
97. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
98. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
99. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
100. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
101. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
102. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
103. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
104. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
105. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
106. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
107. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
108. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
109. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
110. नाहिद हसन, श्री शामली
111. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
112. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
113. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
114. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी

115. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
116. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
117. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
118. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
119. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
120. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
121. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
122. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
123. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
124. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
125. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
126. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
127. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
128. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
129. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
130. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
131. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
132. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
133. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
134. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
135. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
136. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
137. बावन सिंह, श्री गोण्डा
138. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
139. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
140. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
141. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
142. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
143. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
144. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
145. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
146. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
147. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
148. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
149. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
150. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
151. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
152. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
153. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
154. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
155. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
156. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
157. महबूब अली, श्री अमरोहा
158. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
159. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
160. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
161. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
162. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
163. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
164. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
165. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
166. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
167. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
168. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
169. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
170. युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
171. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
172. योगेश वर्मा, श्री खीरी
173. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
174. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
175. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
176. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर

177. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
178. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
179. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
180. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
181. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
182. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
183. रवि शर्मा, श्री झांसी
184. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
185. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
186. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
187. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
188. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
189. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
190. राज करन कबीर, श्री बांदा
191. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
192. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
193. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
194. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
195. राजबाला, श्रीमती रामपुर
196. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
197. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
198. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
199. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
200. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
201. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
202. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
203. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
204. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
205. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
206. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
207. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
208. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
209. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
210. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
211. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
212. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
213. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
214. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
215. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
216. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
217. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
218. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
219. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
220. लाखन सिंह, श्री औरैया
221. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
222. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
223. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
224. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
225. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
226. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
227. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
228. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
229. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
230. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
231. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
232. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
233. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
234. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
235. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
236. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
237. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
238. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
239. वीरेन्द्र, श्री एटा

240. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
241. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
242. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
243. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
244. शशांक वर्मा, श्री खीरी
245. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
246. शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
247. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
248. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
249. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
250. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
251. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
252. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
253. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
254. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
255. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
256. संजय, श्री बुलन्दशहर
257. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
258. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
259. संजय यादव, श्री बलिया
260. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
261. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
262. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
263. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
264. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
265. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
266. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
267. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
268. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
269. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
270. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
271. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
272. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
273. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
274. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
275. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
276. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
277. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
278. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
279. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
280. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
281. सुभाष राय, श्री अम्बेडकरनगर
282. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
283. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
284. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
285. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
286. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
287. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
288. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
289. सुरेश राही, श्री सीतापुर
290. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
291. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
292. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
293. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
294. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
295. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
296. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
297. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
298. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
299. सौरभ सिंह, श्री खीरी
300. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
301. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
302. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
303. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी

304. हरिओउम यादव, श्री	फिरोजाबाद	308. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती	आगरा
305. हरिशंकर माहौर, श्री	हाथरस	309. हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव
306. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0	जौनपुर		
307. हाकिम लाल बिन्द, श्री	इलाहाबाद		

नोट :- मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य) तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, कृपया वन्दे मातरम् के लिये खड़े हो जायें।

'वन्दे मातरम्'

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

[11:02] संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से मैं संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा 'भारत का संविधान' में किये जाने के लिये प्रस्तावित संशोधन, जो अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के अन्तर्गत आता है, के अनुसमर्थन के सम्बन्ध में राज्य सभा सचिवालय से प्राप्त पत्र को, उक्त विधेयक एवं संसद के तद्विषयक वाद-विवाद की प्रतियों सहित, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-182 के उपनियम (1) के अन्तर्गत, सदन के पटल पर रखता हूं।

[11:06] संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 में संशोधन का अनुसमर्थन के संकल्प का प्रस्ताव

*** संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आज एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि प्रश्न यह है कि ''यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा किये जाने हेतु प्रस्तावित अनुच्देद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले, 'भारत का संविधान' में संशोधन का अनुसमर्थन करता है।''

मान्यवर, भारत के संविधान में संसद एवं विधान सभाओं की सीटों का धर्म या समुदाय के आधार पर आरक्षण नहीं है परन्तु तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के आशय से सीमित समय, सीमित अवधि के लिये अनुच्छेद-334 के द्वारा विधायिका में सीटों के आरक्षण का प्राविधान किया गया था। मान्यवर, तबसे लेकर लगातार 10-10 साल के लिये संविधान में संशोधन करके आरक्षण की यह अवधि बढ़ाई जाती रही। अभी तक वर्तमान परिस्थिति यह है कि गत 70 वर्षों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वे कारण जो स्थानों के पूर्वोक्त आरक्षण के सम्बन्ध में थे, अभी तक विद्यमान है। जिस समय संविधान लिखा गया था, उस समय के जो कारण थे, अभी तक हम उसको पूरी तरीके से ओवर कम नहीं कर पाये हैं। अर्थात् दूसरे शब्दों में कहा जाये कि जो गैर बराबरी के आधार के ऊपर इन लोगों को आरक्षण दिया गया था, हम पूरी तरीके से उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाये, वह गैर बराबरी पूरी तरह से दूर नहीं कर पाये। मान्यवर, इसलिये इस व्यवस्था को आगे 10 वर्षों के लिये बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में जो स्थिति है, उसमें दिनांक 25 जनवरी, 2020 तक यह आरक्षण है और यह एक संवैधानिक व्यवस्था है कि पहले संसद से पास होगा और फिर जैसा कि मैंने उसमें उल्लेख किया है कि अनुच्छेद-368(2) के तहत देश की 50 परसेण्ट विधान सभाओं में इसका अनुमोदन होना है। आज उसी अनुमोदन के लिये मैं आपके समक्ष यह प्रस्ताव रखता हूं। हमारा और हमारे दल का यह विश्वास है कि हर तरह से जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग किसी न किसी रूप में समाज में बराबरी का दर्जा हासिल नहीं कर पाये, उन लोगों को वह स्थान मिलना चाहिये कि जो अभी तक नहीं मिल पाया। मान्यवर, इसी उद्देश्य से हमारी पार्लियामेण्ट ने इसको सर्वसम्मति से पास किया और आज हम आपकी अनुमति से यह संकल्प विधान सभा में इसीलिये प्रस्तुत कर रहे हैं कि आगे आने वाले 10 सालों के लिये इसको पुनः पारित करके लागू किया जाये। मैं समझता हूं कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें किसी का कोई विरोध नहीं है, सभी लोग इस पर मन से, वचन से और कर्म से सहमत हैं। मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इसको पारित किया जाये।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, इस बिल का कोई विरोध नहीं कर सकता है। हम सब लोग इसके समर्थन में हैं। जैसा अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि इसका 10 सालों के बाद हमेशा रिनीवल किया जाता रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं केवल दो-चार सुझाव देना चाहता हूं। हालांकि हमको इसमें यहां विधान सभा में संशोधन का अधिकार तो नहीं है लेकिन मेरा आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इसमें से एंग्लो-इण्डियन का जो प्राविधान निकाल दिया गया है, वैसे यह तो पास हो गया लेकिन इसके लिये एक प्रस्ताव अलग से बना करके कि इसमें उत्तर प्रदेश विधान सभा की यह मंशा है कि जैसे हमेशा एंग्लो-इण्डियन को रखा गया है तो फिर से पुनः विचार करके उसको रखा जाये। श्रीमन् मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जैसा अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा भी कि गैर बराबरी है। मेरा सुझाव है कि शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण की जो व्यवस्था है तो उसमें उत्तर प्रदेश विधान सभा एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र को भेजे कि नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में इनके आरक्षण का प्रतिशत और बढ़ाया जाए, अनुसूचित जाति-जनजाति का भी और पिछड़े वर्ग के लोगों का भी।

श्रीमन् मेरा तीसरा सुझाव आपके माध्यम से है जो कि इस विधान सभा में कई बार पारित हुआ है लागू नहीं हुआ है क्योंकि जिस समय पारित हुआ उस दल की केन्द्र में सरकार नहीं थी। अब संयोग की बात है कि जो राज्य सरकार है केन्द्र में भी इन्हीं की सरकार है जो 17 अति पिछड़ी जातियों के रिजर्वेशन का मामला है उसका भी सदन सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करे और केन्द्र सरकार से आग्रह करे कि इनके आरक्षण को भी लागू किया जाये। श्रीमन् इसमें बहस की कोई गुन्जाइश नहीं है, यह मेरा सुझाव है। हमने पहले ही कहा कि विधेयक पास है उसके बाद मैंने अपना यह सुझाव दिया है और इसलिये दिया है क्योंकि आज तक आरक्षण है तो लेकिन उनके आरक्षण की अनदेखी होती रही है। संसदीय कार्य मंत्री जी आज जितनी भी नियुक्तियां आपकी सरकार में हुई हैं उनमें एक भी आरक्षण अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का लागू नहीं हुआ है। ऐसी बुद्धि से आप लोग उसे कर रहे हैं कि उसमें आरक्षण नहीं मिल रहा है। अगर वास्तव में यह विधेयक जो आप लोग लेकर आये हैं आपकी मंशा साफ हो और है ही तभी लेकर आये हैं तो अब जो नियुक्तियां हों उसमें अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिले, उनको नौकरियां मिलें, इन्हीं सुझावों के साथ मैं बिल का पुरजोर तरीके से अपने दल की तरफ और पूरे विपक्ष की तरफ से समर्थन करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहस इस बात पर होनी चाहिये कि विषय से हटकर सबसे ज्यादा कौन बोल सकता है। विधान सभा में यह बहस एक दफा जरूर करवा दीजिये और उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष को जो शीर्षस्थ पुरस्कार हो सकता है वह दिलवा दीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हमने कहा कि विधेयक पास तो क्या उसके बाद आप सुझाव भी नहीं सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

सुझाव दूसरे समय पर आप दीजियेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सुझाव तो हमारा सुनिये आप हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं। मुख्य मंत्री जी हम लोगों के बगलगीर हैं जितनी मैंने बात कही है उसको इस सदन से पास कराकर भेजिये। सदन चाहे कभी भी बैठे उसको पास कराकर केन्द्र में भेजिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये जो व्यवस्था अनुच्छेद-334 के अन्तर्गत की थी उसमें उनका प्रतिनिधित्व देने के लिये उनकी आबादी के अनुपात में विधान सभा और लोक सभा में सीटों का रिजर्वेशन किया गया था, निश्चित रूप से इससे पहले वर्ष 2009 में भी इसको बढ़ाया गया था 10 साल के लिये और 1999 में भी बढ़ाया गया था। हर बार विधान सभा में प्रस्ताव आया और सर्वसम्मति से इसको पास किया गया। हम और हमारा दल पूर्णरूप से इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। मान्यवर, लेकिन साथ ही साथ अनुच्छेद-335 जिसमें सरकारी सेवाओं के लिये भी आरक्षण की व्यवस्था है। निश्चित रूप से सरकार आज जिस तरह से निजीकरण की तरफ बढ़ रही है उसके कारण उनका प्रतिनिधित्व घट रहा है इसलिये हमारा सुझाव है और हमारी मांग है कि यह सदन एक अलग प्रस्ताव करे और केन्द्र सरकार से मांग करे कि सरकारी सेवाओं में भी और निजी क्षेत्र में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन देने का काम किया जाये। जहां तक इस प्रस्ताव का सवाल है इसका पुरजोर तरीके से बहुजन समाज पार्टी समर्थन करती है और साथ ही साथ जो एक एंग्लो-इण्डियन का विषय है अनुच्छेद-336 में उसमें मैं भी यह चाहता हूं कि उनका भी प्रतिनिधि रहे उसके लिये अलग से एक प्रस्ताव सदन से भारत सरकार के पास जाना चाहिये लेकिन इस प्रस्ताव को जो आज आया है उसका हम पुरजोर तरीके से समर्थन करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रस्ताव से पृथक विषय आज न उठाये जायें तो ठीक रहेगा।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

माननीय अध्यक्ष जी, आज अनुच्छेद-334 के अन्तर्गत जो आरक्षण विधायिका में हमारे संविधान के निर्माताओं ने दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधान के निर्माण के समय किया था जो वंचित वर्ग है जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ा उसको जोड़ने का प्रस्ताव पूजनीय महात्मा गांधी की सोच ने, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने, बाबा आम्बेडकर ने जो सपना देखा था उस भारत में जहां सब एक हों, सबको बराबरी का अवसर मिले और जो वंचित वर्ग है उसको मुख्य धारा में लाया जाये इसलिये इसका प्राविधान किया गया। कांग्रेस पार्टी इस संकल्प का पुरजोर समर्थन करती है। 10 वर्ष की अवधि के लिये यह संकल्प लाया जाता है, वर्ष 2020 में यह समाप्त हो रहा है और वर्ष 2030 तक के लिये यह प्रस्ताव आज विधान सभा में आया है, हम इसका समर्थन करते हैं। मेरे केवल दो सुझाव हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं मैं चाहती हूं कि आपके माध्यम से यह सुझाव उत्तर प्रदेश विधान सभा से जाना चाहिये। एंग्लो इण्डियन सोसायटी का प्रतिनिधित्व भी इस संविधान में रखा गया था। देश की 19 विधान सभाओं में 1-1 और लोक सभा में 2 । उसको इसमें नहीं जोड़ा गया है इसलिये मेरा सुझाव है कि इस पर यहां से एक प्रस्ताव बनकर जाये। दूसरा महिलाओं के आरक्षण के लिये संसद के एक हाउस में जो पास हो चुका था, 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं का है इसके लिये भी एक विशेष प्रस्ताव मैं चाहती हूं कि इस सदन से जाये।

श्री अध्यक्ष-

इस विषय से तो यह अलग है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, यह सुझाव है। माननीय मुख्य मंत्री जी हमेशा कहते हैं और यह सरकार 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा लेकर आई थी। मैं उन्हीं बेटियों की बात कर रही हूं कि उनका भी प्रतिनिधित्व 33 प्रतिशत आरक्षण विधायिका में होना चाहिये इसलिये मैं चाहती हूं कि यह प्रस्ताव भी यहां से जाये। मैं स्वयं को माननीय नेता विरोधी दल और माननीय लाल जी वर्मा जी की बात से सम्बद्ध करती हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

***श्री ओम प्रकाश राजभर-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) का समर्थन करता हूं और मैं आपके माध्यम से नेता सदन से यह जानकारी करना चाहता हूं कि आरक्षण 10 वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है, क्या साढ़े 22 प्रतिशत रिजर्वेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश के 14 सौ थानों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में उनकी भागीदारी है ? 75 जिले हैं क्या उन जिलों में उनको हिस्सेदारी मिलेगी ? क्या पिछड़ों को हिस्सेदारी मिलेगी ? आरक्षण तो बढ़ाया जा रहा है हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन क्या हमको हिस्सेदारी मिलेगी ? इसका मुझे जवाब चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राजभर जी, यह प्रश्नोत्तर काल नहीं है तो आप सवाल न पूछिये, अपनी बात कहिये।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं जो विषय है उसी विषय पर बोल रहा हूं । यदि रिजर्वेशन बढ़ाया जा रहा है तो....

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थान से खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

शान्त रहिये, पिछड़ों का वोट सबको चाहिये और पिछड़ों के बारे में जुबान नहीं खुल रही है किसी की। वोट सबको चाहिये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रखी हुई है, माननीय नेता सदन बैठे हैं सदन में बोला है उन्होंने। क्या इसको लागू कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय राजभर जी, मूल विषय में रहिये।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

केन्द्रीय मंत्री जी आयेंगे वह भाषण देकर चले जायेंगे कि लागू होगा लेकिन कब लागू होगा ? यदि किसी सही बात को कहते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है।

श्री अध्यक्ष-

आप मूल विषय पर बोलिये।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आरक्षण के पक्ष में हूं। एस0सी0एस0टी0 का जो आरक्षण है वह लागू होना चाहिये, वह बढ़ाया गया है हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या साढ़े 22 प्रतिशत रिजर्वेशन 14 सौ थानों में लागू होगा ? 75 जिले हैं क्या उसमें लागू होगा ? इनका कोटा कब तक पूरा होगा ? क्या इसी तरह सिर्फ बढ़ाया जायेगा ? आज 70 साल से यह बढ़ाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

राजभर जी, यह जो बढ़ाया जा रहा है यह विधायिका का है।

(सदस्यों के अपने-अपने स्थान से बोलते रहने पर व्यवधान की स्थिति बनी रही)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

आरक्षण की बात मैं कर रहा हूं कोई अपने लिये भीख नहीं मांग रहा हूं। हम विरोध में नहीं बोल रहे हैं साढ़े 22 प्रतिशत रिजर्वेशन 14 सौ थानों में होगा या नहीं ? 75 जिलों में होगा कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आरक्षण पर ही कह रहा हूं यह जो 10 वर्ष के लिये बढ़ाया जा रहा है उसी पर तो मैं पूछ रहा हूं, उसी के लिये तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। यह आरक्षण बढ़ाने का सवाल नहीं है, आरक्षण बढ़ाइये हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन क्या 14 सौ थानों में इनको हिस्सेदारी मिलेगी, क्या 75 जिले हैं इनमें हिस्सेदारी मिलेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह विषय के संगत नहीं है, अब आप बैठिये।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

किसी की [x x x] नहीं है सदन में कोई बोले।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, आप बैठिये।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

हां हमारी [x x x] है बोलने की। हम पूछना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों रद्दी की टोकरी में रखी गई है।

श्री अध्यक्ष-

अलग नियमों में आप इसे दे देना।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और खुद ओम प्रकाश राजभर इस विधेयक का स्वागत करते हैं। दस साल के लिये इसे बढ़ाया गया है, स्वागत है। दस साल के अन्दर इनका कोटा भी पूरा हो, सभी क्षेत्रों में दस साल के अन्दर क्या इनको हिस्सेदारी मिलेगी ?

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

आप फिर पूछने लगे। माननीय नील रतन जी।

***श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'-**

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सदन के अन्दर आरक्षण की जो व्यवस्था है, उस आरक्षण में मेरा नम्बर आता है। कांग्रेस और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मेरी पार्टी बड़ी है, इसे मैं बार-बार कहता हूं। लेकिन इसके बाद भी हमारे आरक्षण का पूर्ण रूप से यहां पर अतिक्रमण किया जाता है। आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपका संरक्षण हमें प्राप्त होना चाहिये और संविधान में 126वां संशोधन में आरक्षण की व्यवस्था है। चूंकि यह विविधताओं का देश है, यहां पर जाति, धर्म के लोग रहते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह जो संशोधन आया है इसका अपना दल पूर्ण रूप से समर्थन करता है और साथ ही साथ हम यह चाहेंगे कि दस साल के लिये जो इसको बढ़ाया गया है, वह सिर्फ कागजों पर न रहे, क्योंकि गांव में, खेतों में, खलिहानों में, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले जो वंचित लोग हैं, उनको वास्तव में इसकी जरूरत है और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं पुनः इसका पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।

***डा0 डेनजिल जे0 गोडिन-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तीन मिनट लेना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट तो आप ले चुके, बाकी दो मिनट में आप बता दीजिये।

डा0 डेनजिल जे0 गोडिन-

मान्यवर, एंग्लो इण्डियन समुदाय को हमारे फाउण्डिंग फादर्स ने संविधान में उसकी अहमियत को बहुत सोच-समझकर रखा था और अभी भी हम आपको बतायें, वर्तमान को हम नहीं देखेंगे, भविष्य को, राष्ट्र और प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए यह अति आवश्यक है कि जो समुदाय जैसे हमारे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी जी कहते थे कि हम लोग भोजन में नमक का काम करते हैं और उसका हम लोग ध्यान रखें। हमारी शिक्षा संस्थायें हैं, अस्पताल हैं, जो आंकड़े हमारे माननीय बड़े नेता ने कहीं दिये हैं, वह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि 1951 के बाद सेन्सस के प्रोफार्मा में कोई प्राविधान नहीं है कि एंग्लो इण्डियन की गिनती की जाय। हम लोग 296 नहीं बल्कि अकेले उत्तर प्रदेश में शायद 50,000 से ज्यादा हैं। पूरे राष्ट्र में साढ़े तीन लाख से अधिक लोग रजिस्टर्ड संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, परन्तु इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देश में हमारे पास सही आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि 1951 के सेन्सस के बाद कोई प्राविधान नहीं है। समुदाय की तरफ से हम इस बिल का सहयोग करते हैं। परन्तु 334 का जो बी पार्ट है, उसका अलग से एक प्रस्ताव यह सदन बनाये और उसे हम पास करें। सारी योजनाओं का हमेशा हम लोगों ने पूरी तरह से समर्थन किया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपका विषय आ गया है।

डा0 डेनजिल जे0 गोडिन-

हम लोगों ने मौके से अपनी संस्थाओं को यूज करते हुए प्रदेश और सरकारी योजनाओं का पूरी तरह से सपोर्ट किया है। आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि जब यह वोट किया जाय, अलग से प्रस्ताव बने इस सदन से और हमारे सेन्टर को या उचित जगह पर हमारे अधिष्ठाता महोदय भेजेंगे। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मुख्य मंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज यह सदन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर यहां पर चर्चा करते हुए देश की संसद द्वारा पारित एक संविधान संशोधन विधेयक को अपना अनुसमर्थन कर रहा है और इस दृष्टि से विशेष सत्र आपने यहां पर आहूत किया है। वर्ष 2019 कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश विधान मण्डल ने इन विशेष सत्रों के माध्यम से समाज से जुड़ी हुई और राष्ट्र से जुड़ी हुई उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। जो सपना इस देश के संविधान निर्माताओं का था, जो सपना बाबा साहब डा0 भीमराव आम्बेडकर जी का था। तीसरी बार इस वर्ष में हम लोग विशेष सत्र के रूप में बैठ रहे हैं और तीनों बार विधायिका की चर्चा के मुद्दे वही थे, जो पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने या इस देश के संविधान निर्माताओं ने या बाबा साहब डा0 भीमराव आम्बेडकर जी ने जो अपेक्षा इस देश की विधायिका से की थी और इस देश के संविधान के माध्यम से उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व प्रत्येक व्यक्ति कर सके। वर्ष 2019 का जब यह अन्तिम दिवस है और इस अवसर पर हम विधायिका में अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रतिनिधित्व को फिर से 10 वर्ष के लिये बढ़ाने के लिये अपना समर्थन दे सकें, इस दृष्टि से वर्ष 2019 उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण और समृद्ध माना जायेगा। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विधायिका से जुड़े हुए अपने दोनों विधान मण्डल से जुड़े हुए सभी माननीय सदस्यों का हृदय से अभिनन्दन भी करता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

देश का संविधान जब बन रहा था, उस समय इस बात पर चर्चा हुई थी कि देश धर्म के आधार पर, मत या मजहब के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं देगा लेकिन सैकड़ों वर्षों से जिन लोगों की आवाज को दबाया गया था, जिन लोगों की भावनाओं को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ने दिया गया था, उन लोगों को विधायिका में प्रापर स्थान प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से देश के अन्दर 1959 में संविधान का आठवां संशोधन अधिनियम, 334 के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति के लिये आरक्षण को, जो संविधान द्वारा प्रदत्त था, उसको 10 वर्ष के लिये बढ़ाया गया था। क्योंकि महसूस किया गया था कि जितना अपेक्षित विकास और प्रतिनिधित्व इस तबके को प्राप्त होना चाहिये, वह नहीं हो पाया था। आजादी के बाद इस देश के संविधान के अनुरूप प्रत्येक तबके को शासन की योजनाओं का लाभ देने, समाज में और राष्ट्र में विकास की मुख्य धारा के साथ बिना भेद-भाव सबको जोड़ने का एक सार्थक प्रयास भी प्रारम्भ हुआ।

हर एक स्तर पर योजनायें आगे बढ़ीं और उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिये फिर यह महसूस होता रहा कि हर 10 वर्ष में हम विधायिका में अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व देने के लिये इस विषय पर चर्चा कर सकें और आज संविधान का 126वां संशोधन, जो विधेयक है, जिसके अनुसमर्थन में आज हम सब यहां पर इस विशेष सत्र के माध्यम से इसे अपना समर्थन देने के लिये यहां पर उपस्थित हुए हैं, यह उन्हीं भावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य है कि आगामी 10 वर्ष के लिये क्योंकि विधायिका में यह समर्थन, यह जो रिजर्वेशन है, यह 25 जनवरी, 2020 तक ही है। 25 जनवरी, 2020 से इसे आगामी 10 वर्ष तक बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश विधान मण्डल भी अपना अनुसमर्थन देश की संसद के इस संविधान संशोधन के अधिनियम को दे सके। इसलिये यह विशेष सत्र यहां पर आहूत किया गया है। हम सब जानते हैं कि जब यह देश आजाद हुआ था, उस समय अनुसूचित जाति की आबादी 5 करोड़ 13 लाख थी और अनुसूचित जनजाति की आबादी 1 करोड़ 91 लाख थी। 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति की आबादी 20 करोड़ 13 लाख और अनुसूचित जनजाति की आबादी 10 करोड़ 45 लाख, यह जनगणना के आंकड़ों के अनुसार प्राप्त हुई और संसद में अनुसूचित जाति के 84 और अनुसूचित जनजाति के 47 सदस्य पूरे देश से चुने जाते हैं। राज्य विधान सभाओं में भी 614 अनुसूचित जाति के और 554 अनुसूचित जनजाति के सदस्यगण पूरे देश के अन्दर से चुन करके अपने-अपने राज्यों की विधायिका में भी चुन करके जाते हैं। स्वाभाविक रूप से इस संविधान संशोधन विधेयक को राज्यों की विधान मण्डल का समर्थन भी चाहिये और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के स्तर पर यह समर्थन हमें यहां से भेजना है। इस दृष्टि से विधायिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित यह संसद का संविधान संशोधन विधेयक है,

जिसके अनुसमर्थन में आज यह उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की विशेष कार्यवाही यहां पर आयोजित की गई है। आजादी के बाद अगर हम देखेंगे तो वास्तव में बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के उस सपने को साकार करने का कार्य ईमानदारी से किसी सरकार ने किया है तो बेझिझक और निःसंकोच कहा जा सकता है कि इसे नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कार्य को किया है, (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) बिना भेदभाव के किया है और किस रूप में किया है, मैं इसकी शुरुआत करता हूं। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों के विकास से जुड़े हुए उन पवित्र स्थलों को वैश्विक मानचित्र पर पस्तुत करने के लिये किया गया कार्यक्रम। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर का जन्म स्थान, मऊ, मध्य प्रदेश है। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर का भव्य स्मारक, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना करके बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के जन्म स्थान को एक तीर्थ के रूप में विकसित किया। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर से जुड़े हुए इंग्लैण्ड के उस भवन को, जहां पर उन्होंने रह करके अपनी उच्च शिक्षा अर्जित की थी। भारत सरकार ने और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिल करके उस भवन को क्रय किया, बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर का स्मारक बनाने के साथ-साथ उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैण्ड जाने वाले छात्र-छात्राओं के लिए उस भवन में निवास की व्यवस्था और साथ-साथ उनके लिये स्कालरशिप की व्यवस्था भी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा की गई है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने दिल्ली में रह करके अन्तिम सांस ली थी, उसे श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी के नेतृत्व की सरकार ने क्रय किया और आज आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बना करके बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की भावनाओं के अनुरूप उसे एक पवित्र तीर्थ के रूप में विकसित किया। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की दीक्षा भूमि नागपुर में एक भव्य स्मारक बनाया गया। इस कार्य को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में और तत्कालीन महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री श्री देवेन्द्र फणनवीस की सरकार ने सम्पन्न किया और मुम्बई के चैत्य भूमि में भी बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर से जुड़े हुए उस पवित्र स्थल को भव्य स्वरूप दे करके दुनिया के वंचितों के लिये एक आशा की किरण जागृत करने का कार्य भी अगर किसी ने किया तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यह हमारे लिये केवल नारे नहीं हैं, हमने उन नारों को हकीकत में बदलने का भी काम किया है और सही मायने में इस कार्य को किया है और यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जब 26 मई, 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तब उस समय उन्होंने इस बात का आह्वान किया था कि हमारी सरकार किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा के लिये नहीं बल्कि भारत के

लिये, भारतीयता के लिये, भारत के गांवों के लिए, भारत के गरीबों के लिए, भारत के दलितों के लिए, भारत के आदिवासियों के लिये, भारत के वनवासियों के लिये, भारत की महिलाओं के लिए और भारत के प्रत्येक तबके के विकास के लिए कार्य करेगी। उन्होंने अपने साढ़े पांच वर्ष के शासनकाल के दौरान इसे करके दिखाया भी है। महोदय, जब प्रधानमंत्री पद की शपथ मोदी जी ने ली थी तब देश के अन्दर तीन करोड़ परिवार ऐसे थे, जिनके पास अपने आवास नहीं थे और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि ऐसे दो करोड़ परिवारों को एक-एक आवास देने का कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना में किया गया, यह कार्य सफलतापूर्वक पूरे देश के अन्दर लागू करने का कार्य हुआ। दस करोड़ परिवार ऐसे थे जिन परिवारों के पास अपने घर में एक-एक शौचालय नहीं था उन परिवारों को एक-एक शौचालय देने का कार्य भी अगर किसी ने किया तो स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तीन करोड़ परिवार ऐसे थे जिन परिवारों के पास अपना विद्युत कनेक्शन नहीं था, सौभाग्य योजना के अन्तर्गत उन परिवारों को विद्युत कनेक्शन देने का भी कार्य किया गया और आठ करोड़ परिवार ऐसे थे, जिन परिवारों के पास अपने लिये ऊर्जा का कोई साधन नहीं था, रसोई गैस नहीं थी, उन्हें केरोसिन नहीं मिल पाता था, उनके पास ईंधन की सर्वसुलभता नहीं थी, उन आठ करोड़ परिवारों को रसोई गैस का कनेक्शन देने का कार्य अगर किसी ने किया तो वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्जवला योजना के अन्तर्गत किया।

(विपक्ष के कई सदस्यों के साथ सदस्य श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा बोलने पर)

श्री योगी आदित्यनाथ-

सुनने की आदत तो डालें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय लल्लू जी बैठिये।

(विपक्ष के सदस्य श्री अजय कुमार 'लल्लू' के लगातार बोलते रहने पर)

श्री योगी आदित्यनाथ-

महोदय, इनका असली चेहरा है। महोदय, यह असली चेहरा सामने आ रहा है क्योंकि किसी गरीब को, किसी वंचित को शासन की योजनाएं मिलें, उसमें जो सबसे बड़ी बाधा थी, ये चेहरे अपने आप सामने दिखाई दे रहे हैं। ये चाहते ही नहीं हैं कि गरीब को इन सुविधाओं का लाभ मिले। यह सच्चाई सामने आ सके, इस दृष्टि से ये लोग किस तरीके से शासन की योजनाओं में बाधक बनते हैं और गरीब तथा वंचितों के लाभ में डकैती डालते हैं, इस बात का उदाहरण ये लोग हैं जो नमूने के रूप में सामने दिखाई दे रहे हैं। महोदय, आयुष्मान भारत, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। यह गरीबों के लिये, वंचितों के लिये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया स्वास्थ्य

बीमा का एक कवर है जो आजादी के बाद पहली बार हुआ है और दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना है। महोदय, हर गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेद-भाव के दे सकें।

श्री लाल जी वर्मा-

इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्मा जी, इसका सम्बन्ध है। इसलिये सम्बन्ध है क्योंकि आप लोगों ने वोट बैंक बनाया है। यहां वोट बैंक नहीं बनाया गया है, बल्कि शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य किया गया है इसलिये इसके बारे में सरकार को कहने का पूरा अधिकार है। महोदय, मुझे इनसे केवल दो विषय पूछने हैं और मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो 'सबका' बनते हैं, 'स' से 'सपा', 'ब' से 'बसपा' 'का' से 'कांग्रेस'। ये प्रदेश के दलितों और वंचितों के सबसे बड़े विरोधी रहे हैं। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर और कांशीराम जी के नाम पर बने हुए स्मारक और उनके नाम पर प्रदेश के पैसे से बने हुए स्थलों का नाम बदलने का काम किसने किया था, बसपा इस पर क्यों मौन है, सपा से इसके बारे में पूछे, ये हमने नहीं किया है। ये काम आपके ही पार्टनर, समाजवादी पार्टी ने किया था। आप उनसे यह प्रश्न कभी नहीं पूछ सकते हैं। महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2016-17 में दिया ही नहीं। जब मार्च, 2017 में हमारी सरकार आई तब हमने पूरी की पूरी छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को देने का काम किया, तो क्या इन्हें इस पर बोलने का अधिकार है ? ये लोग इस पर उपदेश देते हैं, यानि सच्चाई स्वीकार भी नहीं करेंगे। अगर गरीब को आवास, शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन मिल रहे हैं, तो इनको बुरा लग रहा है। अगर हम कोई अन्य योजना का लाभ दे रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं, तो भी इन्हें बुरा लग रहा है और जब इनकी असलियत खोल दी जाती है तब ये अपना मुंह दिखाने लायक स्थिति में नहीं रहते हैं। महोदय, यही स्थिति इन्होंने पैदा की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है, वह करके दिखाती है और हमने जो कहा है, वह करके दिखाया है। हमने कभी योजना के नाम पर, जाति, क्षेत्र, मजहब, भाषा के नाम पर भेद-भाव नहीं किया, लेकिन बिना भेद-भाव के संविधान प्रदत्त अधिकार लोगों को प्राप्त हो, यह सरकार इसके लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है और देश की संसद के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया है, उस संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिये ही, समर्थन देने के लिये ही आज हम सब यहां पर एकत्र हैं। मैं पूरे सदन से अपील करूंगा कि संसद सर्वसम्मत से इस प्रस्ताव को पारित किया है और उत्तर प्रदेश विधान सभा भी सर्वसम्मत से इसको पारित करे और गरीबों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों और वनवासियों के लिये भी

हम लोग अपनी उस प्रतिबद्धता को, जो भारत के संविधान के द्वारा पारित प्रस्ताव है, उसके साथ अपने आपको सम्बद्ध कर सकें, इस दृष्टि से मैं पूरे सदन से अपील करूंगा कि सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पारित होना चाहिये, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिये, यह अपील मुझे यहां पर करनी थी। मैं एक बार पुनः आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस वर्ष 2019 को उत्तर प्रदेश विधायिका की दृष्टि से महत्वपूर्ण वर्ष बनाया है और कई विशेष सत्र प्रारम्भ किये। एस0डी0जी0 गरीबों के लिये ही था। सबको स्वास्थ्य की सुविधा, सबको शिक्षा की व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा सके, यह एस0डी0जी0 के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से चर्चा हुई जो लोग चर्चा में भाग नहीं लिये, स्वाभावित रूप से वह स्वयं भी उन गरीबों, दलितों और वंचितों के विरोधी थे। हम लोगों ने बापू की 150वीं जयन्ती के अवसर पर 02 अक्टूबर को विशेष सत्र आहूत किया था और बापू जी को उस सत्र के माध्यम से, एस0डी0जी0 के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। इसके उपरान्त भी विशेष सत्र अन्य मुद्दों पर बुलाये गये और आज भी संविधान दिवस पर बाबा साहब डा0 भीमराव आम्बेडकर जी के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप 26 नवम्बर को आहूत किया था और आज जब वर्ष 2019 का यह अन्तिम कार्य-दिवस है, इस अन्तिम कार्य-दिवस पर भी यह विशेष सत्र आहूत करके उत्तर प्रदेश विधान मण्डल ने एक नया रिकार्ड बनाया है, इसके लिये मैं आपका भी अभिनन्दन करता हूं। विधान मण्डल से जुड़े हुए हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं, विधान सभा और विधान परिषद् से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी/कर्मचारी हैं सभी ने जिस मनोयोग के साथ इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़कर इसे सफल बनाया है, उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं चाहूंगा कि पूरा सदन सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उन समुदायों का समुचित प्रतिनिधित्व विधायिका में दिया जा सके, इस दृष्टि से जो एक प्रस्ताव संसद के द्वारा पारित किया गया है इसको हम सब अपना समर्थन दें। मुझे यही कहना था, धन्यवाद।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इसका तो समर्थन हम लोगों ने पहले ही कर दिया और इस पर डिबेट नहीं होना था इसलिये हमने केवल सुझाव दिये थे। 'चले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास'। मुख्य मंत्री जी भाषण देने लगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, यह क्या कर रहे हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इन्होंने क्या किया ? आप बैठिये। माननीय अध्यक्ष जी, अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सबसे बड़ा कोई विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

छात्रवृत्ति न देना, छात्रवृत्ति गोल कर देना यह समर्थन है ?

(प्रतिपक्ष के कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर शोर)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, बाबू जगजीवन राम जी की मूर्ति को माला पहनाया गया तो उसको गंगाजल से धोया किसने ? आप अनुसूचित जाति के सबसे बड़े विरोधी हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, एक निरर्थक बहस मा0 नेता प्रतिपक्ष ने चालू की है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पीछे की परम्परा देख लें। जब कभी यह प्रस्ताव आया है, तो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, जब तक नेता सदन बोले हैं कोई भी विपक्ष का सदस्य खड़ा नहीं हुआ है। यह क्या कर रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष जी, मुंह में राम बगल में छूरी।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गई।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर शोर)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग दलित वर्ग का छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं। आपने माननीय नेता सदन को सुना।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

विषय के अतिरिक्त नहीं बोला गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले इनको बैठाइये। मा0 नेता सदन जब बोल रहे थे तो विपक्ष का कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ था।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसमें कोई चर्चा की बात ही नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने केवल सुझाव दिया था और अब फिर आपके माध्यम से मैं सुझाव देना चाहता हूं। बिल पेश किया गया, मैंने उसका समर्थन किया और कुछ सुझाव दिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

विषय से हटकर बोलने की शुरुआत किसने की ? पूरा सदन साक्षी है, विषय से हटकर बात करने की शुरुआत आपने की। विषय से कौन हटा ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैंने भाषण नहीं दिया और न ही मैं घर बनवा रहा था, न टॉयलेट बनवा रहा था।

(मा0 अध्यक्ष के खड़े होने पर नेता प्रतिपक्ष सहित सभी सदस्य बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष पहले बोले, फिर मा0 वर्मा जी बोले उसके बाद सुश्री आराधना मिश्रा 'मोना' जी बोली, फिर पटेल जी बोले उसके बाद श्री ओम प्रकाश जी बोले, इस पूरे समय को अगर हम टोटल करें तो उतनी ही देर माननीय मुख्य मंत्री जी बोले।

(प्रतिपक्ष की तरफ से आवाज आई कि क्या बोले ?)

जो भी बोले, वह कार्यवाही का भाग है, उसको हम दोहरायेंगे वह ठीक नहीं रहेगा। जो मुख्य मंत्री जी बोले वह कार्यवाही का भाग है। अब उसके बाद मा0 नेता प्रतिपक्ष ने भी कुछ बातें कह ली।

(नेता प्रतिपक्ष के पुनः खड़े होने पर)

अब आपको क्या कहना है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हम कोई भाषण नहीं देंगे। कुछ सुझाव और हैं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा यह प्रस्ताव पास करे कि हर जाति की जनगणना करा ली जाये और जिस जाति का जितना हिस्सा हो, उसको उतना आरक्षण दे दिया जाये। मेरा सुझाव है विधान सभा यह प्रस्ताव करे। अगर यह दलित हितैषी हैं तो विधान सभा पास करे।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आप पहले कह चुके हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, परम्परा को अगर माननीय मुख्य मंत्री जी तोड़ेंगे तो सदन का बड़ा दुर्भाग्य होगा। यह एक ही बात चार साल से कहते आ रहे हैं कि हमने पाखाना बना दिया, हमने घर बना दिया, हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया, कुछ नहीं किया। प्रदेश जल रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार, डकैती, छिनैती सब इनके प्रदेश में हो रहा है। सरकार और तंत्र पर विश्वास ही नहीं है, इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी आप अल्पमत में हैं, आप इस्तीफा दें।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, आप प्रश्न उपस्थित करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा किये जाने हेतु प्रस्तावित अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 'भारत का संविधान' में संशोधन का अनुसमर्थन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत किया)

[11.51] उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

हमारे पास इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे मा0 श्री शीशराम जी, जो जिला बिजनौर से इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे हैं, उनके निधन की सूचना प्राप्त हुई है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, आज 31 तारीख है। आपने भी कुछ नहीं कहा। आज नये साल में सभी मा0 सदस्यों को हम विपक्ष की ओर से बधाई देना चाहते हैं और इस सदन के नेता विरोधी दल रहे राज नारायण जी की पुण्यतिथि रही है। 1 मिनट का उनके लिये भी मौन रखवा दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसके बाद कर लेंगे। अगर आप बधाई देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले बधाई आप हमको दीजियेगा।

मुझे खेद है कि मैं शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं और इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिये।

इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे श्री शीशराम जी, जिला बिजनौर से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सदस्य निर्वाचित हुए थे, उनके निधन की सूचना मिली है। हम सब इस आदरणीय सदन के सदस्य और यह पूरा सदन शोकाकुल है।

इसी प्रकार श्री चन्द्रपाल सिंह जी, जिला मुरादाबाद से विधान सभा के इस आदरणीय सदन के सदस्य थे, वह लोक सभा के भी सदस्य रहे हैं। उनके निधन की सूचना भी हम लोगों को प्राप्त हुई है। हम लोग शोक व्यक्त करते हैं।

इसी प्रकार देवकी नन्दन जी जिला हाथरस से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उनके निधन की सूचना भी हम सबको प्राप्त हुई है। हम सब जानते हैं कि इस संसार में लोगों का आना-जाना ध्रुव सत्य है, लेकिन इस आदरणीय सदन की सेवा करने वाले, इस देश के लिये, समाज के लिये त्यागपूर्ण जीवन जीने वाले जब जाते हैं तो हम सब दुःखी होते ही हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके शोक संतप्त परिवार को यह वज्राघात सहने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को शान्ति मिले। इस आदरणीय सदन की व्यथा, शोकोद्गार मैं उनके परिजनों तक पहुंचा दूंगा। आइये हम सब थोड़ी देर के लिये खड़े होकर मौन रखें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

श्री राजनारायण जी सन् 1952 में नेता विरोधी दल रहे इस सदन के सदस्य रहे आज उनकी पुण्य तिथि है एक मिनट उनके नाम पर हो जाए।

श्री योगी आदित्यनाथ-

यह चेयर से ही हो जाए। नेता विरोधी दल आप इसका प्रस्ताव रख दीजिये हम उसका समर्थन कर देंगे।

मा0 राजनारायण की पुण्यतिथि पर शोक प्रस्ताव

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस देश के महान सेनानी महान नेता, उत्तर प्रदेश विधान सभा में नेता विपक्ष कई बार इस सदन के सदस्य माननीय राजनारायण जी की आज पुण्य तिथि है चूंकि इसी विधान सभा में उन्होंने राजनीति शुरू किया उनके बारे में शोक प्रस्ताव इस विधान सभा में हो जाये यह मैं आपसे आग्रह करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

अध्यक्ष जी प्रख्यात समाजसेवी नेता स्व0 राजनारायण जी की आज पुण्य तिथि है जिन्होंने अपना पूरा जीवन सही मायने में समाजवाद के दर्शन को अंगीकार करते हुए जिया हो उत्तर प्रदेश की विधान सभा हो या इस देश की संसद देश के स्वास्थ्य मंत्री रहे हों या फिर विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए जिस साफगोई के साथ जीवन के जिस शुचिता और पारदर्शिता का पालन करते हुए उन्होंने जीवन जिया आज उनका पुण्य स्मरण प्रत्येक जनप्रतिनिधि के साथ-साथ उन सबके लिए अत्यन्त आवश्यक है जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपने आपको समर्पित किया है मैं उस पुण्यात्मा को आज के इस अवसर पर उनकी पुण्य तिथि

के अवसर पर हमारे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि स्व0 राजनारायण की इस पुण्य तिथि के अवसर पर पूरे सदन की ओर से भी उस महान नेता का स्मरण हो एक अच्छा प्रस्ताव है और मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत हुई है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अभी तो हमने प्रस्ताव ही रखा था वह हमारे भी नेता रहे हैं इसलिये मुझे भी दो मिनट बोलने की अनुमति दें।

माननीय अध्यक्ष जी जो शोकोद्गार शोक संदेश माननीय नेता सदन ने अपने विचार में रखे हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। राजनारायण जी आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका में थे और बड़े जमीदार घराने से थे उतने बड़े जमीदार घराने के रहते हुए भी उन्होंने समाजवाद को अपनाया और आजीवन समाजवादी विचारधारा के लिये संघर्ष करते रहे। छुआछूत के वह घोर विरोधी थे। जिस समय घनघोर छुआछूत था उन्होंने जगजीवन बाबू को बनारस ले जाकर पंडित मदन मोहन मालवीय जी पर माल्यार्पण कराया। बी0एच0यू0 के गेट पर और कुछ लोगों ने जाने के बाद मूर्ति को धोया और राजनारायण जी को समाज और जाति के बहिस्कृत करने का फरमान सुनाया। उन्होंने उसी समय कहा कि मैं जाति में रहूं न रहूं समाज में रहूं न रहूं राजनारायण जी के जीते जी छुआ-छूत बर्दाश्त नहीं हो सकता है। उनका व्यक्तित्व एक महान संघर्षशील का था हमको जहां तक याद है उनकी पार्टी से आप भी एक बार जीतकर आये थे क्या ? अन्याय के खिलाफ अकेले खड़ा हो जाना संविधान की अवहेलना करने वालों के खिलाफ संघर्ष में कूद जाना कहीं भी अन्याय हो राजनारायण जी खड़े हो जाते थे और संघर्ष करने लगते थे ऐसे महान समाजवादी चिन्तक समाजवादी नेता हमारे बीच में नहीं है। जब वह स्वास्थ्य मंत्री हुए, तो कुछ लोगों ने बहुत कहा कि वह अपने लड़के की नौकरी लगवा दें, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे हिन्दुस्तान के सभी लड़के हमारे लड़के हैं। आज उनके लड़के नौकरी में नहीं हैं, वह दर-दर भटक रहे हैं। ऐसे महान समाजवादी नेता को मैं अपने दल की तरफ से तथा पूरे विपक्ष की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इस शोक-संवेदना को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 नेता सदन ने महान समाजवादी नेता श्री राजनारायण जी की पुण्यतिथि के अवसर पर अपने जो विचार रखे हैं, मैं उससे अपने को जोड़ता हूं। जब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम किसी महापुरुष को याद करते हैं तो हमारा उद्देश्य है कि उनके द्वारा जो कार्य किये गये हैं उस पर हम मनन करें और उनसे प्रेरणा लेकर उसे हम अपने जीवन में उतारने का काम करें। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिये जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, चाहे वह विधान सभा रही हो, चाहे वह आम जनता के बीच में रहा हो, अकेले चौराहे पर खड़े होकर जिस तरह से उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखने के लिये कार्य किया, निश्चित रूप से वह सराहनीय है। मैं उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपेक्षा करूंगा कि निश्चित रूप से हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिये लगातार संकल्प की आवश्यकता है और उस दिशा में हम पहल करें। मैं पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

मा0 अध्यक्ष जी, स्व0 राजनारायण जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज मा0 नेता विरोधी दल ने सदन में जो प्रस्ताव रखा है और इस प्रस्ताव का समर्थन करके जिस स्वस्थ परम्परा का निर्वहन मा0 नेता सदन ने किया तथा मा0 नेता बसपा श्री लाल जी वर्मा जी ने उसका समर्थन किया। मैं और मेरा दल भी इसका समर्थन करता है। स्व0 राजनारायण जी एक आदर्श समाजवादी नेता थे, प्रतीक थे और सामाजिक परिवर्तन में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वह एक साहसी आन्दोलनकारी थे। उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनायें रहीं जिनसे आज के राजनीतिज्ञों को सीखना चाहिये। कांग्रेस पार्टी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 राजभर जी।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता सदन, मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 नेता बसपा तथा मा0 नेता कांग्रेस के विचारों को अपने साथ जोड़ते हुए स्वर्गीय राजनारायण जी जो समाजवादी विचारधारा के थे, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से एवं अपनी ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को शोक-संवेदना भिजवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 पटेल जी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'-

मा0 अध्यक्ष जी, आज इस सदन में एक ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि पर प्रस्ताव परम् सम्मानित नेता प्रतिपक्ष जी ने लाने का काम किया और जिसका समर्थन यशस्वी मा0 मुख्य मंत्री जी ने किया है, मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहूंगा कि समाजवादी चिन्तक, भारत ही नहीं वरन् विश्व के कोने-कोने में उनकी विचारधारा को लोग आज मानने का काम करते हैं। ऐसी विभूति बनारस की धरती पर गंगापुर जिनका निवास स्थान रहा, वहां एक किसान परिवार से निकल करके उन्होंने समाजवादी विचारधारा को धारण करके उन्होंने पूरे देश में समाजवादी विचारधारा के प्रकाश को फैलाने का काम किया। निश्चित तौर पर ऐसे महापुरुष कभी-कभी पैदा होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरा परम् सौभाग्य है कि मेरा जन्म भी उसी मिट्टी में हुआ है, मैं उसी गंगापुर क्षेत्र में पैदा हुआ और उन्हीं की माटी से मुझे संघर्ष करके आज इस विधान सभा में पहुंचने का अवसर मिला है। उनके शब्द मुझे आज भी याद आते हैं जब मैंने पहली बार उनको सुना था तो उन्होंने कहा था कि मैं समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति हूं मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति मेरे बाद मेरी राजनैतिक विरासत को संभालने का काम नहीं करेगा। समाज के अन्तिम पायदान से निकल कर जो हमारी विचारधारा को लेकर चलने का काम करेगा, मेरे बाद उसको ही मौका मिलेगा और यही वजह है कि आज उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके बाद परिवारवाद को कायम करने का काम नहीं किया। मैं ऐसी महान विभूति को अपनी पार्टी, अपना दल की तरफ से और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके परिजनों तक हमारी पार्टी, अपना दल की तरफ से और हमारी तरफ से शोक संवेदना पहुंचाने का काम किया जाये, ओम शान्ति।

श्री अध्यक्ष-

देश और दुनिया के प्रख्यात समाजवादी नेता सांसद रहे, इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे, तमाम पदों पर रहे श्री राजनारायण जी की पुण्यतिथि आज है और इस विषय पर नेता प्रतिपक्ष माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने प्रस्ताव रखा है। माननीय नेता सदन, माननीय राम गोविन्द जी, माननीय वर्मा जी, माननीय राजभर जी, माननीय आराधना जी, माननीय पटेल जी सहित सभी वरिष्ठ नेताओं ने जो प्रस्ताव यहां पर रखा है, जो उद्गार व्यक्त किये हैं उनके प्रति मैं स्वयं और यह आदरणीय सदन प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। राजनारायण जी का समाजवाद दुनिया के अन्य देशों से आयातित समाजवाद नहीं था। राजनारायण जी में लोहिया जी की अन्तर्दृष्टि थी और उनमें राम, कृष्ण और शिव जी की आस्तिकता का समागम था। वह अपने दल के नेता थे संघर्ष करते थे किसी के प्रति द्वेष नहीं था उनका अन्तरंग बिल्कुल गंगा की तरह निर्मल था और उन्होंने भारतीय राजनीति से भिन्न प्रकार की राजनीति,

भिन्न प्रकार की समाजसेवा, भिन्न प्रकार की अभिव्यक्ति का उदाहरण स्थापित किया और भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की धारा को ही बदल दिया, जब वह रायबरेली से चुनाव लड़े थे। रायबरेली जनपद की सीमा से हमारा गांव जुड़ता है। उस चुनाव में सीधे आर-पार की लड़ाई हुई देश की सबसे शक्तिशाली नेता आदरणीय इन्दिरा गांधी जी के सामने चुनाव था और फिर इतिहास का रंग बदलता चला गया। माननीय उच्च न्यायालय ने आदरणीया श्रीमती गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया, आन्दोलन चल रहा था राम गोविन्द जैसे लड़ाकू लोग जेल में थे और मैं भी जेल में था। इस प्रकार इतिहास की धारा में रहने का काम और फिर उसी इतिहास ने देश पर आपातकाल, राजनारायण जी को जब हम याद करते हैं तो साथ-साथ आपातकाल भी याद आता है। राजनारायण जी उससे टकराने वाले योद्धा थे। वह इतिहास की गति में हस्तक्षेप किया करते थे। आज इस आदरणीय सदन के हम सब सदस्य उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और आप सबने जो उद्‌गार व्यक्त किये हैं मैं उनसे सम्बद्ध होकर इस आदरणीय सदन को सारी भावनायें उनके परिजनों तक पहुंचाऊंगा। आइये राजनारायण जी की स्मृति में श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए खड़े होकर कुछ मिनट का मौन रखें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

[12:09] उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि :-

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को वापस प्राप्त को गया।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को वापस प्राप्त को गया।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को वापस प्राप्त को गया।

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को वापस प्राप्त को गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को वापस प्राप्त हो गया।

[12:11] सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

घोषित किया जाता है कि :-

सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था, तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 जुलाई, 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2019 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा

जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2019 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2019 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2019 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2019 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 के

उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2019 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि --

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2019 का उत्तर प्रदेश का बाइसवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7 में कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा जी हैं, नहीं हैं। **(अनुपस्थित)**

[12:12] श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित तीन याचिकायें (व्यपगत) †

(1) जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम नगला दया में गुड्डू के घर से आंगनबाड़ी केन्द्र तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद-फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम दौंकली में दबरई सरगमा मार्ग से राजेन्द्र फौजी के घर होकर दौंकली पानी की टंकी तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद-फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(3) जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम बरकतपुर में राजवीर के घर से सरकारी तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद-फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

नोट :-† छापी नहीं गई।

[12:14] श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली व उन्नाव से सम्बन्धित एक-एक याचिका †

श्री अनिल सिंह-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद रायबरेली, परगना व तहसील सदर, मो0 मालखाना, कैनरगंज गांव, अख्तियारपुर फ्री-होल्ड को पुनः जांच करवाने एवं निरस्त करवाने के सम्बन्ध में श्री योगेश कुमार चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद-रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत ग्राम बछौरा में पंचायत घर बनवाए जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

श्री राम फेरन पाण्डेय जी हैं।

[12:14] श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका†

जनपद श्रावस्ती में चीनी मिल लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सभी की याचिकाएं पढ़ी हुई मान ली जायं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आज की सभी याचिकायें पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित चार याचिकाएं †

(मद सं0-11 से मद सं0-18 तक की याचिकायें पढ़ी हुई मानी गईं)

(1) जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम मामेपुर मुख्य मार्ग से ब्लाक रजपुरा जाने वाले रास्ते का डामरीकरण के सम्बन्ध में श्री अमरीश व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम ज्ञानपुर से ग्राम औरंगाबाद, ब्लाक रजपुरा जाने वाले रास्ते का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज़ व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम स्याल, ब्लाक रजपुरा मेन रोड पर यात्री शेड बनाए जाने के सम्बन्ध में श्री लीले सिंह व अन्य निवासीगण जनपद-मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

नोट :-† छापी नहीं गई।

(4) जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम मानपुर मोहनराम मन्दिर से प्रदीप पुत्र राजपाल के घर तक ब्लाक माछरा जाने वाले रास्ते का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह तोमर व अन्य निवासीगण जनपद-मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती साधना सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

(1) जनपद चंदौली के अन्तर्गत दुल्हीपुर से दामोदारदास के पोखरे तक पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री अभिषेक पोद्दार व अन्य निवासीगण जनपद चंदौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद चंदौली के बंधी डिवीजन के चंदौली नगा के अन्तर्गत कच्चे नाले को पक्कीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद चंदौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(3) जनपद चंदौली के अन्तर्गत लघु पुल का निर्माण नाबार्ड योजनान्तर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद चंदौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित तीन याचिकायें †

(1) जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत शेरगढ़ से नगरिया कलां तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत सेमीखेड़ा सहकारी चीनी मिल में स्वीकृत डिस्टलरी को शीघ्र चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री छेदा लाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(3) जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत भिटौरा शेरागढ़ मार्ग से पेट्रोल पम्प के सामने से स्माईलपुर तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बुद्धसेन मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अमिताभ बाजपेयी, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका †

जनपद कानपुर नगर की ग्राम सभा सचेण्डी को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र सिंह बाली व अन्य निवासीगण जनपद-कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका †

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम गुलडिया से ग्राम सिंगरा तक रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

नोट :-† छापी नहीं गई।

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित तीन याचिकायें †

(1) जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के सड़कों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में श्री प्रवीण कुमार शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में विकास खण्ड पडरौना के छठ घाटों के सुन्दरीकरण के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार मल्ल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(3) जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में विकास खण्ड रामकोला में विवाह भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरनाथ मद्धेशिया व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित दो याचिकायें †

(1) जनपद रायबरेली अम्बारा पश्चिम से गौरारुपई के मध्य छूटी हुई कड़ी पर डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विशाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) जिला रायबरेली ग्राम ककराही ग्राम सभा चिलैला से खजूरगांव-डलमऊ सम्पर्क मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित याचिका †

जनपद कानपुर देहात क्षेत्र के अन्तर्गत भोगनीपुर सागर तालाब के सौन्दर्यीकरण और पर्यटन के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र सचान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-19 में कुछ नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

नोट :-† छापी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष-

नरेन्द्र जी आप क्या कहना चाहते हैं।

जनहित में जनता के उपयोगार्थ कम्बल, गीजर, वाटर कूलर व ए0सी0 आदि विधायक निधि से खरीदे जाने की मांग

***श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप है। सरकार और सामाजिक संगठन तथा हम लोग अपनी तरफ से कम्बल बांट रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से एक विनती करना चाहता हूं कि हमारी विधायक निधि में हमारे लिये कम्बल खरीदने का कोई प्राविधान नहीं है। दूसरा हम लोग स्कूल जाते हैं, छात्रावास जाते हैं, मन्दिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं और सार्वजनिक शौचालयों पर जाते हैं लेकिन हम लोग अपनी विधायक निधि से गीजर नहीं खरीद सकते हैं। तीसरा गर्मियों में स्कूलों और छात्रावासों तथा अस्पतालों में हम वाटर कूलर तथा ए0सी0 नहीं लगवा सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम इसका उपयोग अपने लिये न करें, लेकिन कम्बल, गीजर, वाटर कूलर और ए0सी0 जैसी चीजें कई स्थानों पर नहीं हैं इसलिये यह व्यवस्था चाहे सरकारी स्कूल हों या अर्द्धसरकारी स्कूल हों, मान्यता प्राप्त स्कूल हों, चाहे छात्रावास हों, चाहे अस्पताल हों या अन्य धर्मशाला हों, मन्दिर हों, मस्जिद हों, चर्च हों, मठ हों यहां पर हम लोगों को अपनी विधायक निधि से खरीदने की अनुमति दे दी जाए क्योंकि यह बहुत ही जनहित का मामला है।

एन0आर0सी0 का विरोध कर रहे लोगों के साथ निर्दोष लोगों को भी जेल भेजे जाने का प्रकरण

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, जिस तरह से एन0आर0सी0 का विरोध कर रहे लोगों को जेल भेजा जा रहा है और उसमें निर्दोष लोगों को भी जेल भेजा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

यह कार्यवाही का भाग नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, इसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। यह सरकार बिल्कुल तानाशाही पर उतर आई है।

---

* नोट :- वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(इसी बीच विपक्ष के कई मा0 सदस्य सदन की वेल में आ गये और वेल से ही अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

[12:17] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

यह विषय नहीं है। आज जो नियम-301 की सूचनायें प्राप्त हुई हैं वह सभी सूचनायें स्वीकार की जाती हैं।

आज नियम-301 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिसमें सभी माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं।

प्रथम सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ललई की जनपद जौनपुर अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् शाहगंज का सीमा विस्तार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अमिताभ बाजपेयी की जनपद कानपुर नगर अन्तर्गत विज्ञापन पट हेतु नियमावली न बनाये जाने से हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री विरेन्द्र कुमार यादव की प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री सीताराम वर्मा की प्रदेश में धान की फसल में गंडुआ रोग से फसल में हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ में सहकारी चीनी मिल साथा की क्षमता बढ़ोत्तरी के साथ डिस्टिलरी यूनिट, एथेनाल प्लान्ट एवं पावर प्लान्ट लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री कमलेश शुक्ल की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत करौंदी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन अन्तर्गत हिण्डन नदी पर रपटा (पुलिया) बनाकर सैकड़ों किसानों की जान-माल की रक्षा किये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्रीमती राजबाला की जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र मिलक शाहाबाद अन्तर्गत कन्या डिग्री कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना प्रिन्स वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर अन्तर्गत ग्राम गढ़ियारंगीन की अंदरूनी मार्ग का मरम्मत एवं डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की जनपद मथुरा में ठण्ड के भीषण प्रकोप से जनमानस को बचाने हेतु प्रशासन द्वारा निष्क्रियता दिखाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना डॉ0 अरुण कुमार की बरेली सदर अन्तर्गत कतिपय सड़कों एवं नालियों का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री रवि सोनकर की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में तटबन्ध एवं पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद

अन्तर्गत पैतेपुर पुल से कैशवारा डामर तक स्वीकृत रोड का कार्य पूर्ण एवं भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास अन्तर्गत ट्रॉन्सफार्मर्स को अपग्रेड एवं जर्जर तारों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री लाल बहादुर की जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर अन्तर्गत बडहरी गांव के भरत नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी अन्तर्गत प्रतापपुर चर्मुखा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना डॉ0 डी0सी0 वर्मा की जनपद बरेली के अन्तर्गत कस्बा शाही एवं दिनरा मिर्जापुर के बीच किच्छा नदी पर एप्रोच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत आई0टी0आई0 मवई के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की सरकार द्वारा शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु स्थापित ओवरहेड टैंक के निर्माण की टी0ए0सी0 जांच कराये जाने तथा जल रिसाव एवं ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री मनीष असीजा की फिरोजाबाद सदर अन्तर्गत प्रदीप नगर के ढोलपुरा पर एस0 गोपाल इण्डस्ट्रीज से लेकर अमित रिसॉर्ट तक सर्विस रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री बहोरन लाल मौर्य की जनपद बरेली के कतिपय नगर पंचायतों में जानवरों के अवैध कटान एवं दोषियों के खिलाफ जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां अन्तर्गत जमींदारी पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महानगर में देवरिया रोड पर नगर विकास विभाग के अन्तर्गत जल निगम द्वारा बनाये जा रहे नाले के सन्दर्भ में है, चौबीसवीं सूचना श्री बृजभूषण राजपूत की जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी अन्तर्गत जैतपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत अन्तर्गत कतिपय गांवों में 33/11 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर अन्तर्गत शारदा सहायक नहर की पिच मार्ग से ग्राम सभा रम्मनपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के ब्लाक सफीपुर अन्तर्गत ओसिया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद फतेहपुर के निहाल अहमद निवासी लल्लू मियां की जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री विजय कुमार राजभर की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी अन्तर्गत ग्राम सभा कसारा में खेल के मैदान की बाउण्ड्रीवॉल व खेल सामग्री उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर अन्तर्गत एन0एच0-56

(मिश्रौली) बघाड़ी कला इमिलियाघाट से पट्टी नरेन्द्रपुर होते हुए लखनऊ-बलिया मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकत्तीसवीं सूचना श्री कैलाश नाथ सोनकर की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र अजगरा अन्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार अन्तर्गत अड्डा से कल्यानी एवं गंगा विशुनपुर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री पल्टूराम की बलरामपुर सदर अन्तर्गत के0जी0एम0यू0 का सेटेलाइट सेन्टर का शिलान्यास कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की समाज कल्याण विभाग मथुरा द्वारा अनियमित रूप से पिछले तीन वर्षों से मानकता पूर्ण न होने पर भी आई0टी0आई0, बी0एड0 पाठ्यक्रम में विद्यालयों को अनियमित रूप से फर्जी छात्रवृत्ति व फीस प्रदान करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री रत्नाकर मिश्र की जनपद मिर्जापुर के रामपुर-गोपीगंज मार्ग पर गंगा का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं।)

जनपद जौनपुर अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् शाहगंज का सीमा विस्तार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। नगर पालिका परिषद् शाहगंज, जनपद जौनपुर का सीमा विस्तार नहीं किया गया है, जबकि चारों तरफ तीन-चार किमी0 तक नगरीय क्षेत्र में आबादी बस चुकी है, नगर पालिका परिषद्, शाहगंज जो पूर्व में नगर पंचायत था तब से सीमा विस्तार किये जाने की मांग लगातार होती रही है, परन्तु इस पर शासन व प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। नगर पालिका परिषद् शाहगंज में सड़क, नाली व अन्य सारे कार्य ठीक से कराये जाने की आवश्यकता है, जिससे स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधायें मिल सकें। यह गम्भीर एवं जनहित से जुड़ा प्रकरण है।

अतः इस जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नगर पालिका परिषद्, शाहगंज का सीमा विस्तार कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कानपुर नगर अन्तर्गत विज्ञापन पट हेतु नियमावली न बनाये जाने से हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेयी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि नगर निगम, कानपुर क्षेत्र में हजारों विज्ञापन पट लगे हुए हैं। कई वर्षों से नगर निगम ने इन विज्ञापन पटों के सम्बन्ध में नियमावली नहीं बनाई जो बनाई वह निर्धारित

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रक्रिया पूरी न होने से न्यायालय से निरस्त हो गई। नगर निगम को इस हेतु स्पष्ट व सुसंगत नियमावली बनानी चाहिये थी, परन्तु कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से नगर निगम को प्रतिवर्ष करोड़ों के राजस्व की चोट पहुंचायी जा रही है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त की जांच कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः मैं सदन से मांग करता हूं कि विज्ञापन नियमावली बनवाने व न बनने से होने वाले नुकसान हेतु जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की कृपा करें।]

प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं, जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से पूरा कार्य जिस तरीके से लिया जाता है उस कार्य के हिसाब से उनको जो मानदेय दिया जाता है वह बहुत ही कम दिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकत्री का जो मानदेय 4000 रुपया दिया जा रहा है। उनके कार्यों को देखते हुए कम है। इनका मानदेय लगभग 12000 हजार से कम नहीं होना चाहिये। क्योंकि जनगणना या सर्वे करना, रुबेला का टीकाकरण करना आदि कार्य आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से करवाया जाता है। ऐसी स्थिति में इन आंगनबाड़ी कार्यकत्री महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। जनहित में इन कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश में धान की फसल में गंडुआ रोग से फसल में हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सीताराम वर्मा-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि इस वर्ष धान की फसल में एक रोग (गंडुआ) लग गया है, जिससे धान की फसल में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है। इसके कारण धान का उत्पादन गिर गया है एवं धान/चावल दागी हो जाने के कारण सरकारी धान क्रय केन्द्र एवं व्यवसायी खरीद नहीं रहे हैं या व्यवसायी बहुत कम मूल्य पर खरीद रहे हैं। इसके कारण किसानों को बहुत आर्थिक क्षति हो रही है। जनहित में उक्त रोग के कारण धान की फसल में हुई क्षति का सर्वे कराकर प्रतिपूर्ति कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त रोग के कारण धान की फसल पर हुई क्षति का सर्वे कराकर प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ में सहकारी चीनी मिल साथा की क्षमता बढ़ोत्तरी के साथ डिस्टिलरी यूनिट, एथेनाल प्लान्ट एवं पावर प्लान्ट लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

ठा0 दलवीर सिंह-

[मान्यवर, जनपद अलीगढ़ की एक मात्र सहकारी चीनी मिल साथा जिसकी पिराई क्षमता 1250 टी0सी0डी0 है। इस मिल की स्थापना को पच्चास दशक से अधिक हो चुके हैं। भारत सरकार द्वारा 1250 टी0सी0डी0 क्षमता की चीनी मिलों को लाभप्रद इकाई नहीं माना गया है। यह चीनी मिल वर्षों से हानि में चल रही है। जिसका प्रमुख कारण चीनी मिल की पिराई क्षमता कम होना तथा अत्यन्त पुराना व जीर्ण-शीर्ण मशीनरी का होना है। विगत 10 वर्षों से अधिक समय से इस मिल में कोई मशीनरी बदली नहीं गई है। चीनी मिल में 40.62 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है, जिसमें अधिक क्षमता की मशीनें एवं डिस्टिलरी यूनिट, एथेनाल एवं पावर प्लान्ट लगाये जा सकते हैं। क्योंकि 1250 टी0सी0डी0 क्षमता की चीनी मिल वित्तीय दृष्टि से लाभकारी नहीं है। इस मिल से जनपद अलीगढ़ व हाथरस के हजारों किसान प्रभावित होते हैं। पिराई सत्र 2018-19 में मिल की मशीनों द्वारा बार-बार बन्द होने के कारण किसानों का गन्ना समय से व पूर्ण रूप से पिराई नहीं हो पाया है। जिसके कारण हजारों किसान प्रभावित हुए हैं। अतः इसकी क्षमता कम से कम 3500 टी0सी0डी0 होना आवश्यक है। जनपद अलीगढ़ एवं हाथरस में पूर्व में भारी मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता था। यह क्षेत्र गन्ना उपज के लिये काफी अनुकूल है। मिल को लाभकारी स्थिति में लाने के लिये क्षमता बढ़ोत्तरी के साथ डिस्टिलरी यूनिट, एथेनाल प्लान्ट एवं पावर प्लान्ट जनहित में लगाया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में सहकारी चीनी मिल साथा की क्षमता बढ़ोत्तरी के साथ डिस्टिलरी यूनिट एथेनाल प्लान्ट एवं पावर प्लान्ट लगवाने की मांग करता हूं।]

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत करौंदी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमलेश शुक्ल-

[मान्यवर, जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र 339-रामपुर कारखाना अन्तर्गत लाहिल पार करौंदी मार्ग को प्रधानमंत्री सड़क योजना से लोक निर्माण विभाग में हस्तान्तरण किये जाने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, देवरिया के द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्रेषित पत्र संख्या-399/ग्र0अ0वि0/मार्ग हस्तान्तरण/पी0आई0यू0 देवरिया/2019-20, दिनांक 23-12-2019 संलग्न जांच कमेटी के आख्या के पश्चात् जांच अनुरक्षण अवधि में लाहिल पार चौराहे से करौंदी मार्ग को लोक निर्माण विभाग में हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक है क्योंकि उक्त मार्ग बिहार प्रान्त की सीमा को जोड़ने का एक मुख्य मार्ग है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्रातिशीघ्र उक्त मार्ग के नवीनीकरण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत गांव टपरी एवं सडोली हरिया पर रपटा (पुलिया) बनाकर सैकड़ों किसानों की जान माल की रक्षा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर के गांव टपरी एवं सडोली हरिया के आस-पास किसानों की जमीन नदी के दूसरे छोर पर है जिससे किसानों को खेती करने के लिये जान जोखिम में डालकर नदी क्रास करके अपने खेतों तक जाना पड़ता है। कभी-कभी तेज बहाव के कारण किसान नदी के बहाव में काफी दूर तक बह जाते है तथा कभी-कभी जान-माल की भी हानि होती है। यदि गांव टपरी एवं सिडोली हरिया पर रपटा/पुलिया का निर्माण कर दिया जाता है तो समस्या से काफी राहत मिलेगी एवं जान-माल का भी बचाव होगा। जनहित में गांव टपरी एवं सडोली हरिया पर रपटा/ पुलिया का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र मिलक शाहाबाद के अन्तर्गत कन्या डिग्री कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजबाला-

[मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-38, मिलक-शाहाबाद, जनपद रामपुर की तहसील मिलक में कोई कन्या डिग्री कालेज नहीं है जिस कारण लड़कियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु बहुत दूर जाना पड़ता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि कृपा करके लड़कियों के लिये उच्च शिक्षा हेतु एक डिग्री कालेज बनवाने का कष्ट करें।]

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के अन्तर्गत ग्राम गढ़ियारंगीन की अंदरूनी मार्ग का मरम्मत एवं डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रिन्स वीर विक्रम सिंह -

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र 131, कटरा विकास खण्ड जैतीपुर तहसील तिलहर के ग्राम गढ़ियारंगीन की अंदरूनी मार्ग में डामरीकरण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है जिसे अभी तक किसी भी योजना के तहत मरम्मतीकरण नहीं कराया गया है। जिससे आवागमन में नागरिकों को काफी असुविधा हो रही है। जिसकी शिकायत जिले स्तर पर क्षेत्रवासियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों से की गई परन्तु उनके स्तर से कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई है जिससे जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा में ठण्ड के भीषण प्रकोप से जनमानस को बचाने हेतु प्रशासन द्वारा निष्क्रियता दिखाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

[मान्यवर, इस सदन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मौसम के बदलाव और कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका से पहले ही बचाव और राहत के कदम उठाये जाते हैं लेकिन इस सरकार में गरीबों के लिये रैन बसेरा नाम मात्र के रह गये हैं। वहां भी दरी गद्दे कंबलों का इंतजाम नहीं है। जिलो से हांड़ कंपा देने वाली ठंड में लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं।

मान्यवर, हमारे जिले में ही न तो पर्याप्त रैन बसेरे हैं न ही उन रैन बसेरों में समुचित सुविधायें हैं। प्रशासन की सुस्ती व लापरवाही के कारण ठंड से लोग मर रहे हैं। शीत प्रकोप में अलाव जलाने की व्यवस्था इस सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। वी0आई0पी0 कार्यक्रमों में जो कम्बल इत्यादि बांटे भी जाते हैं समाचार पत्रों के अनुसार मांट क्षेत्र में कार्यक्रम की समाप्ति के बाद वापस ले लिये जा रहे हैं।

अस्तु इस लोक हित के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बरेली सदर के अन्तर्गत कतिपय सड़कों एवं नालियों का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अरुण कुमार-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि बरेली एक महानगर है, स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत चयन हो चुका है। मेरी शहर विधान सभा जो पूर्ण रूप से महानगर का हिस्सा है। बहुत सी सड़कें आज भी कच्ची तथा टूटी पड़ी हैं तथा नालियां नहीं हैं। जिससे आम जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। थोड़ी सी बरसात होने पर सड़क पर पानी भर जाता है। बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल पड़ जाता है। जनहित में उक्त सड़कों तथा नालियों का शीघ्र निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में तटबन्ध एवं पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवि कुमार सोनकर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 311-महादेवा, जनपद-बस्ती के अन्तर्गत (1) कलवारी-रामपुर तटबन्ध के सुरक्षा हेतु तटबंध के किमी0-14.200 से किमी0-14.800 के मध्य 600 मी0 में रिवेटमेंट/लान्चिंग एप्रन, पिचिंग एवं परक्यूपाइन के द्वारा स्पिल बन्द करने के कार्य (2) कलवारी-रामपुर तटबन्ध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, पुनरुस्थापना एवं ब्रिक सोलिंग के कार्य (3) जनपद बस्ती के ग्राम मईपुर, महुआपार एवं गंगापुर के पास घाघरा में बालू अत्यधिक जमा होने के कारण ग्राम के पास कटान बढ़ गई है जिसके सुरक्षा हेतु ड्रेजिंग करवाने (4) वि0ख0-कुदरहा के ग्राम दोफडा में पुल निर्माण हेतु संस्तुति प्रदान करने (5) वि0ख0-कुदरहा के ग्राम सभा चकदहा राजस्व ग्राम सुभावपुर में पुल निर्माण की संस्तुति प्रदान किया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत पैंतेपुर पुल से कैशवारा डामर तक स्वीकृत रोड का कार्य पूर्ण एवं भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत पैंतेपुर पुल से कैशवारा डामर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रोड जोकि त्वरित विकास योजना के अन्तर्गत 2016 में स्वीकृत की गई थी, जिसका टेण्डर व एग्रीमेन्ट हो करके कार्य शुरू हो गया था, गिट्टी का कार्य पूर्ण होने के बावजूद अधूरा पड़ा है। अधूरे कार्य को पूर्ण कराकर भुगतान कराया जाना जनहित में आवश्यक है। उक्त कार्य अधूरा होने के कारण क्षेत्र के लोगों को आने-जाने में काफी असुविधा होती है। ऐसी स्थिति में उक्त कार्य को जनहित में कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त अधूरे कार्य के निर्माण कार्य को कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास के अन्तर्गत ट्रान्सफार्मर्स को अपग्रेड एवं जर्जर तारों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

[मान्यवर, आज बिजली विकास का पर्याय बन गई है, चाहे सिंचाई के संसाधन हो, कल कारखानें हो अथवा प्रकाश की व्यवस्था सहित अन्य कार्य हों-आज सभी कुछ बिजली पर निर्भर कर रहा है, यूं कहा जाय कि बिजली के बगैर विकास की कल्पना करना भी असम्भव है, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी।

जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र **रामपुर खास** के काफी बड़े हिस्से का विद्युतीकरण लगभग **30-35 साल** पहले हुआ था, इतने लम्बे समय पूर्व खींचे गये बिजली के तार जर्जर हो गये हैं जो प्रायः टूट जाते हैं। तारों के टूट जाने से जहां विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है वहीं कभी-कभी इन तारों की चपेट में आने से फसलों में आग भी लग जाती है और करन्ट से लोगों की या पशुओं की मौत भी हो जाती है। **अतः जर्जर तारों को अतिशीघ्र बदला जाना आवश्यक है।**

इसके अलावा पहले से जो ट्रान्सफार्मर्स लगाये गये हैं, उन पर लोड अधिक हो गया है ऐसी स्थिति में ट्रान्सफार्मर्स प्रायः जल जाते हैं क्योंकि गांवों में पहले की अपेक्षा बिजली के कनेक्शन की संख्या बढ़ गई है और सिंचाई के लिये लोगों ने काफी मात्रा में नलकूप भी लगवा लिये हैं ऐसी स्थिति में **समस्या के समाधान हेतु लगे हुए ट्रान्सफार्मर्स को अपग्रेड किया जाना चाहिये और जहां आवश्यकता हो वहां पर II Point ट्रान्सफार्मर लगाया जाना चाहिये** जिससे पर्याप्त में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र के मंझनपुर अन्तर्गत बडहरी गांव के भरत नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल बहादुर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र 252-मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत बडहरी गांव में बरसात के दिनों में भरत नदी में पानी भर जाने के कारण गांव का आवागमन रुक जाता है, जिससे ग्रामवासियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जनहित में बडहरी गांव के भरत नदी पर पुल निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए बडहरी गांव के भरत नदी पर पुल निर्माण कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के अन्तर्गत प्रतापपुर चर्मुखा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल जी वर्मा-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र कटेहरी, जिला-अम्बेडकरनगर में कटेहरी (प्रतापपुर चर्मुखा), जिसकी आबादी लगभग 20 हजार है, वहां पर विकास खण्ड मुख्यालय तथा रेलवे स्टेशन भी है। कई महाविद्यालय एवं इण्टर कालेज भी स्थित हैं परन्तु नगर पंचायत नहीं होने के कारण आज जनता को अनेक नागरिक सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं।

अस्तु इस लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए कटेहरी को नगर पंचायत बनाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के अन्तर्गत कस्बा शाही एवं दिनरा-मिर्जापुर के बीच किच्छा नदी पर एप्रोच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 डी0 सी0 वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद बरेली के कस्बा शाही एवं दिनरा-मिर्जापुर के बीच किच्छा नदी पर 2018 में बाढ़ द्वारा कटान होने के कारण पुल बन्द पड़ा है। जनहित में एप्रोच रोड बनवाकर पुल पर आवागमन शुरू कराना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत मवई आई0टी0आई0 के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[मान्यवर, जनपद अयोध्या, विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत मवई आई0टी0आई0 की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 को भवन निर्माण हेतु विगत वर्षों में धनराशि अवमुक्त की गई थी। अवमुक्त धनराशि को कार्यदायी संस्था द्वारा भवन निर्माण में प्रयुक्त कर ली गई है, अवशेष धनराशि की मांग भी की गई है परन्तु अभी तक अवशेष धनराशि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, उ0प्र0 द्वारा नहीं दी गई जिसके कारण आई0टी0आई0 मवई में शिक्षण कार्य नहीं शुरू हो पा रहा है। मवई आई0टी0आई0 के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अविलम्ब अवमुक्त किये जाने की आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मवई आई0टी0आई0 के निर्माण को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती के कतिपय ग्रामों में सरकार द्वारा शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु स्थापित नवनिर्मित ओवरहेड टैंक के निर्माण की टी0ए0सी0 जांच कराये जाने तथा जल रिसाव एवं ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मान्यवर, प्रदेश सरकार द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये जनपद बस्ती के विकास क्षेत्र सल्टौआ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोरखर में ओवरहेड टैंक का निर्माण वर्ष 2010-11 में कराया गया था। ओवरहेड टैंक बनने से गांव वालों को शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की उम्मीद थी परन्तु नौ साल बीत गये न तो ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल का कनेक्शन ही दिया गया और न ही टोटी से एक बूंद पानी टपका। ट्रायल के दौरान ही ओवरहेड टैंक के नीचे हिस्से से पानी का रिसाव होने लगा था। टैंक के निर्माण से लगभग 5000 की आबादी को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किये जाने की व्यवस्था बनाई गई थी परन्तु विभाग के कार्यशैली में लापरवाही देखते हुए जनता की उम्मीद एवं उत्साह पर पानी फिर गया।

उक्त सम्बन्ध में ग्रामीणों द्वारा जल निगम के अधिकारियों तथा अवर अभियन्ता आदि को अवगत कराया गया। तहसील दिवसों में भी निर्मित एवं निर्माणाधीन ओवरहेड टैंकों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं परन्तु अधिकारियों के द्वारा शीघ्र टैंक के जल रिसाव को ठीक कराने के लिये आश्वासन ही दिया जाता रहा है और न ही शुद्ध पेयजल का कनेक्शन ही दिया गया। विभाग की इस लापरवाही से जनता में बड़ा ही आक्रोश व्याप्त है। ओवरहेड टैंक के जल रिसाव को ठीक कराकर जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र नरखोरिया, अमरौली, शुमाली, महुआर, आदमपुर, मझारी आदि गांवों में निर्मित तथा निर्माणाधीन शुद्ध पेयजल हेतु लगाये जा रहे ओवरहेड टैंक के गुणवत्ता के सम्बन्ध में मेरे क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान ग्रामीणों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी टी0ए0सी0 जांच कराकर अकुशल ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। प्रकरण अति लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

फिरोजाबाद सदर अन्तर्गत प्रदीप नगर के ढोलपुरा पर एस0 गोपाल इण्डस्ट्रीज से लेकर अमित रिसॉर्ट तक सर्विस रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[मान्यवर, फिरोजाबाद नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदीप नगर के सामने ढोलपुरा रोड पर एस0 गोपाल इण्डस्ट्रीज से लेकर अमित रिसॉर्ट तक सर्विस रोड की सड़क पिछले 2 वर्षों से अत्यन्त जर्जर स्थिति में है। इस प्रमुख मार्ग पर 3-4 फीट गहरे गड्ढे हो गये हैं एवं 12 महीने जलभराव रहता है। इस अत्यन्त व्यस्त एवं मुख्य मार्ग पर फिरोजाबाद की प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार के द्वारा अनेकों बार पुरस्कृत प्रमुख निर्यातक इकाइयां भी संचालित होती हैं, जिनमें हजारों श्रमिकों को रोजगार मिलता है एवं सरकार को प्रतिवर्ष कर एवं विदेशी मुद्रा के रूप में करोड़ों रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों, दुकानदारों, निर्यातकों, औद्योगिक इकाइयों एवं मार्ग से गुजरने वाले नागरिकों के साथ आये दिन दुर्घटनायें घटित होती रहती हैं। लम्बे समय से नगर निगम, फिरोजाबाद के इस महत्वपूर्ण मार्ग को बनाये जाने की मांग करी जाती रही है।

इस मार्ग पर रहने वाले नागरिकों, निर्यातकों, औद्योगिक इकाइयों एवं यहां से गुजरने वाले राहगीरों, वाहनों आदि को होने वाली असुविधा से बचाने के लिये इस मार्ग के निर्माण की अनिवार्यता में आवश्यकता है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल प्रभाव से फिरोजाबाद में ढोलपुरा पर एस0 गोपाल इण्डस्ट्रीज से लेकर अमित रिसॉर्ट तक के अत्यन्त जर्जर एवं जल भराव वाले सर्विस रोड के निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बरेली के कतिपय नगर पंचायतों में जानवरों के अवैध कटान एवं दोषियों के खिलाफ जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बहोरन लाल मौर्य-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद बरेली के ग्राम तिलियापुर थाना-सीवीगंज, नगर पंचायत-रिच्छा, थाना देवरनिया, नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी, थाना फतेहगंज पश्चिमी, जनपद बरेली में प्रतिबन्धित जानवरों का अवैध कटान किया जा रहा है। जनहित में अवैध कटान को रोका जाना एवं दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां के अन्तर्गत जमींदारी पुल का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

[मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सड़क मोहनापुर बाजार से लोटन बाजार सिद्धार्थनगर को जोड़ती है उसके बीच में राजधानी गांव के पास जमींदारी पुल टूट जाने से लगभग 20 किलोमीटर का यह मार्ग बाधित पड़ा हुआ है लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। आने-जाने का रास्ता पुल टूट जाने से पूरी तरह से बाधित है। अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इस पर सदन के अन्दर चर्चा कराया जाना इस समस्या का निदान का आश्वासन मिलना अत्यंत आवश्यक है। नियम-301 में इसकी सुनवाई सुनिश्चित कराने की कृपा करें।]

गोरखपुर महानगर में देवरिया रोड पर नगर विकास विभाग के अन्तर्गत जल निगम द्वारा बनाये जा रहे नाले के सन्दर्भ में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[मान्यवर, पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गोरखपुर महानगर में भीषण जल जमाव को देखते हुए देवरिया रोड पर बसुंधरा नाले से लेकर तुर्रा नाले तक 6 कि0मी0 लम्बा नाला रु0 16 करोड़ की लागत से स्वीकृत हुआ था। स्वीकृति जारी करने के पहले इस नाले की टेक्नोबायोबिलिटी तथा कास्ट बेनीफिट्स की मूलभूत जांच नहीं करायी गयी और वहां की भू-परिस्थिति का मूल्यांकन कराये बिना आर्थिक कारणों से बड़े आगणन का प्रोजेक्ट सेंक्शन कर दिया।

नियमों के तहत यदि किसी निर्माण कार्य में दूसरे विभाग की तथा विशेष रूप से वन विभाग की जमीन आती है तो वन सम्पदा को होने वाले संभावित नुकसान का पर्यावरणीय अध्ययन तथा वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिये बिना न तो कार्य की स्वीकृति दी जा सकती है और न ही कार्य प्रारम्भ कराया जा सकता है लेकिन सुनियोजित षडयंत्र के तहत इस

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथ्य को छिपा लिया गया कि 6 कि0मी0 लम्बे इस नाले का 2 कि0मी0 हिस्सा कुसुम्ही जंगल से सट कर गुजरेगा और काम शुरू करा दिया गया। फलस्वरूप वन विभाग के द्वारा आपत्ति प्रकट करने पर विगत 2 वर्षों से काम रुका रहा।

देवरिया रोड पर पानी नंदा नगर से लेकर एयरफोर्स और दसवीं कालोनी का पानी उत्तर की तरफ से बहता हुआ, प्राकृतिक ढाल के अनुरूप दक्षिण के तरफ आता है लेकिन नाले का ढाल पश्चिम से पूरब की तरफ बनाया गया। बसुन्धरा मोड़ से सिर्फ 1 कि0मी0 पूर्व की तरफ 15 एम0एल0डी0 का सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट संचालित है और सिर्फ रु0 3 करोड़ की लागत पर यह नाला उसमें खुल सकता था, जिसकी वाटर हार्वेस्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका होती। प्रतिदिन लाखों लीटर पानी बरबाद होने से बचता तथा शुद्धीकृत जल गोरखपुर के नागरिकों के प्रयोग में भी आता लेकिन सिर्फ एक बड़ा बिल बनाकर धन का आपराधिक दुर्विनियोग करने की दृष्टि से नाले का बसुन्धरा मोड़ से 6 किमी0 दूर तुर्रा नाले में मिलाया गया जिससे लागत रु0 3 करोड़ से बढ़कर रु0 16 करोड़ हो गयी। ठेकेदारी का आवंटन जल निगम के एक कुख्यात रहे ओ0एस0डी0 श्री आफाक अहमद और नगर विकास विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव श्री एस0पी0 सिंह द्वारा किया गया। गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने इस ठेके का बड़ा हिस्सा प्राप्त किया। तुर्रा नाला, राप्ती नदी की एक ट्रीब्यूटरी है और हर बरसात में राप्ती नदी का पानी, तुर्रा नाला होते हुए कुसुम्ही जंगल तथा एयरपोर्ट के सामने के क्षेत्रों से गुजरते हुए देवरिया रोड पर आता है और आश्चर्यजनक तरीके से इस नाले का उसी तुर्रा नाले में मिलाया जा रहा है। न तो नाले की डिजाइनिंग करते समय तुर्रा नाले का हाईयेस्ट फ्लड लेविल (एचएलएफ) अर्थात बाढ़ में पानी का उच्चतम स्तर चेक किया और न ही प्रस्तावित अप्राकृतिक नाले को प्राकृतिक तुर्रा नाले की जगह रेगुलेटर की व्यवस्था की गई। फलस्वरूप नाला बन जाने के बाद बाढ़ के दौरान देवरिया रोड के पानी के तुर्रा नाले में बहने की जगह राप्ती नदी के तुर्रा नाला और निर्माणाधीन नाले होते हुए बहुत तेजी से महानगर में घुसने की तकनीकी सम्भावना है। अगर ऐसा होता है तो गुरूग तिराहे के पूर्व के लाखों नागरिकों को तबाही झेलनी होगी।

हमने जल निगम 14वीं इकाई के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री ए0के0 सिंह को जुलाई, 2019 में मौके पर ले जाकर विस्तृत रूप से अपनी तकनीकी आपत्ति दर्ज कराई और मा0 नगर विकास मंत्री को लिखित पत्र भी उनके पास था। लेकिन श्री सिंह ने 6 महीने में हमारे द्वारा उठाई गई आपत्तियों की कोई लिखित समाधान/जवाब नहीं दिया। जुलाई, 2019 में यह विषय हमने विधान सभा में भी उठाया था इसलिये यह विभाग के द्वारा एक विधायक के विशेषाधिकार का हनन तथा मा0 विधान सभा की अवमानना भी है। श्री सिंह आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनका अन्तिम भुगतान किये जाने के पूर्व विभागीय दायित्वों के निर्वहन में असफलता तथा अनुत्तरदायित्वपूर्ण विभागीय कार्यवाही संस्थापित की जानी चाहिये।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित तथा अत्यन्त आवश्यक तात्कालिक विषय पर नियम-301 के तहत विधान सभा में उठाने की अनुमति प्रदान करें तथा सरकार को जवाब देने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी के अन्तर्गत जैतपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा 231-चरखारी (महोबा) में के ग्राम पंचायत जैतपुर को नगर पंचायत बनाना अत्यन्त आवश्यक है। यहां की आबादी लगभग 25 हजार से अधिक है। यहां पर 75 प्रतिशत से अधिक आबादी व्यवसायिक गतिविधियों में सम्मिलित है। यहां पर बैंक, डिग्री कालेज, इण्टर कालेज एवं खादी का मुख्य केन्द्र भी है। जनता की मांग पर जिला स्तर को प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित किया जा चुका है किन्तु अभी तक नगर पंचायत घोषित नहीं किया गया है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत कतिपय गांवों में 33/11 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[मान्यवर, जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति में अनेकानेक अव्यवस्थाएं होने के कारण व्यवधान रहता है। अनेकों परिक्षेत्रों में से गांव श्यामपुर परिक्षेत्र भी 33/11 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र के अभाव में विद्युत आपूर्ति से वंचित है। इसी प्रकार गांव रम्बोझा परिक्षेत्र भी 33/11 के0वी0ए0 के अभाव में विद्युत आपूर्ति से दूरवर्ती परिक्षेत्र के होने के कारण विद्युत आपूर्ति से विमुख है। साथ ही साथ गांव नौगवां उर्फ नवीनगर भी दूरवर्ती परिक्षेत्र होने के कारण विद्युत आपूर्ति से उपेक्षित है यहां भी 33/11 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र होना आवश्यक है।

उपरोक्त तीनों स्थलों गांव श्यामपुर, गांव रम्बोझा तथा गांव नौगवां उर्फ नवीनगर में अपेक्षित भूमि की उपलब्धता है जिन्हें कि प्रस्तावित भी किया जा चुका है। विद्युत आपूर्ति निरन्तर प्रभावी ढंग से सुनिश्चित हो तथा विद्युत उपभोक्ताओं के विशेषाधिकार का हनन न हो इसलिए उपरोक्त तीनों स्थलों पर 33/11 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र अधिष्ठापित किया जाना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा करायी जाय तथा उक्त तीनों स्थलों गांव श्यामपुर, गांव रम्बोझा तथा गांव नौगवां उर्फ नवीनगर में 33/11 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र अधिष्ठापित कराये जाने की भी कृपा की जाये।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक नहर की पिच मार्ग से ग्राम सभा रम्मनपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[मान्यवर, जिला-अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र 281, अकबरपुर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक नहर की पिच मार्ग से ग्राम सभा रम्मनपुर के राम चन्दर वर्मा के खेत से ओम प्रकाश के आवास तक (ल0 लगभग 1.0 कि0मी0) की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग का पिच निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का पिच निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद उन्नाव के ब्लाक सफीपुर के अन्तर्गत ओसिया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि ब्लाक सफीपुर, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ओसिया सम्पर्क मार्ग लगभग 4.50 किलोमीटर तक सड़क अत्यन्त खराब है। उस क्षेत्र की जनता को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क को विशेष मरम्मत कराये जाने से सम्बन्धित आगणन/प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन में विचाराधीन है। यह कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है। यह लोक महत्व का विषय है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर ब्लाक सफीपुर जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ओसिया सम्पर्क मार्ग लगभग 4.50 किलोमीटर तक विशेष मरम्मत का आगणन/प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन स्तर पर लम्बित है। उस सड़क का शीघ्र निर्माण कार्य कराये जाने हेतु आदेश देने का कष्ट करें।]

जनपद फतेहपुर के निहाल अहमद निवासी लल्लू मियां की जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि निहाल अहमद निवासी-लल्लू मियां की कोठी पनी शहर, कस्बा-फतेहपुर दक्षिण, परगना-फतेहपुर, तहसील-फतेहपुर सदर, जनपद-फतेहपुर की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खतौनी के खाता संख्या-750, 778, 779, 783 की 0.0650 हेक्टेयर भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल फतेहपुर को कई-कई बार प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गयी निहाल अहमद का परिवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है।

अतः अनुरोध है कि जिलाधिकारी, फतेहपुर को आदेशित कर उक्त भूमि की माप कराकर निहाल अहमद के साथ न्याय कर उनकी भूमि पर कब्जा दिया जाये तथा भू-माफियाओं को दण्ड दिलाने की कृपा करें।]

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा कसारा में खेल के मैदान की बाउण्ड्रीवाल व खेल सामग्री उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार राजभर-

[मान्यवर, घोसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा कसारा में स्थित खेल का मैदान जो जीर्ण-शीर्ण हालत में पड़ा है। खेल मैदान पर भू-माफियाओं की निगाह कब्जा करने की नियत से लगी हुई है और खेल मैदान के अगल-बगल के युवा खिलाड़ियों को बहुत ही दिक्कत हो रही है, जिसको ध्यान में रखकर उपरोक्त खेल मैदान की बाउण्ड्रीवाल बनाकर सुरक्षित करना व खेल सामग्री उपलब्ध कराना जनहित में अति आवश्यक कार्य है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य दिलाए जाने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत एन0एच0-56 (मिश्रौली) बघाड़ी कला इमिलिया घाट से पट्टी नरेन्द्रपुर होते हुए लखनऊ-बलिया मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि गोमती नदी पर माननीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से नवनिर्मित इमिलिया घाट पुल पूर्ण हो चुका है जोकि 3 जनपदों जौनपुर, सुल्तानपुर एवं प्रतापगढ़ को जोड़ता है। उक्त पुल के बन जाने से इस मार्ग पर आवागमन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस मार्ग की चौड़ाई बहुत ही कम है, जिससे आम जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग का विवरण निम्न है :-

1-एन0एच0-56 फोरलेन (मिश्रौली) बघाड़ी कला इमिलिया घाट से पट्टी नरेन्द्रपुर होते हुए लखनऊ-बलिया मार्ग तक लम्बाई लगभग 25 किमी0।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र अजगरा के अन्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 385-अजगरा में पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश योजनान्तर्गत नए पिच रोड निर्माण विषयक सूचना के पत्र संख्या-424/सी0डी0ओ0, दिनांक 16-08-2019 जो मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी को सम्बोधित है, उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, साथ ही किसान हित की मंशा को भी पूरा करेगा।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जनपद-वाराणसी के 385, अजगरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य को कराने की मांग करता हूं।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत अड्डा से कल्यानी एवं गंगा विशुनपुर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में अड्डा से कल्यानी सम्पर्क मार्ग एवं गंगा विशुनपुर मार्ग जोकि 20 वर्ष पूर्व किसी विभाग द्वारा अधूरा बनाया गया था तबसे आज तक उसी स्थिति में है। जबकि उक्त मार्ग से लगभग 6 ग्रा0पं0 के लोगों का आना-जाना है जिससे आम जनता को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अतः जनहित में उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण प्रथम वरीयता में कराने का कष्ट करें।]

बलरामपुर सदर के अन्तर्गत के0जी0एम0यू0 का सेटेलाइट सेण्टर का शिलान्यास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पल्टूराम-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि बलरामपुर मुख्यालय पर प्रदेश सरकार द्वारा अटल बिहारी बाजपेयी जी के नाम के0जी0एम0यू0 का सेटेलाइट सेण्टर खोलने का निर्णय लिया है। उक्त कार्य के लिए सरकार कब शिलान्यास के लिए तिथि निर्धारित कर रही है। लोकहित में उक्त कार्य बहुत आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता के लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समाज कल्याण विभाग मथुरा द्वारा अनियमित रूप से पिछले तीन वर्षों से मानकता पूर्ण न होने पर आई0टी0आई0, बी0एड0 पाठ्यक्रम में विद्यालयों को अनियमित रूप से फर्जी छात्रवृत्ति व फीस प्रदान करने से उत्पन्न स्थिति में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[मान्यवर, जनपद मथुरा के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों से समाज कल्याण विभाग द्वारा आई0टी0आई0 पाठ्यक्रम में बिना मानकता पूर्ण किये हुए जनपद के विद्यालयों को अनियमित रूप से अनु0 जाति के विद्यार्थियों के फर्जी लिस्टों के आधार पर विद्यालयों को करोड़ों-करोड़ों रुपये सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए फर्जी कागजों के आधार पर स्कूलों को लाभ पहुंचाया जा रहा है तथा विद्यार्थियों को मार्कशीट के नाम से अवैध वसूली होती है एवं छात्रवृत्ति व फीस हड़प कर ली जाती है। जनपद मथुरा के अन्य विद्यालयों के साथ-साथ ब्लाक मथुरा, ब्लाक राया, ब्लाक बलदेव एवं ब्लाक गोवर्द्धन में मुख्य रूप से बिना मानकता के आई0टी0आई0 विद्यालय कार्यरत हैं तथा व्यक्ति विशेषों द्वारा चार-चार एवं पांच-पांच आई0टी0आई0, बी0एड0 पाठ्यक्रम दर्शाकर फर्जी संचालित हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में अनियमितताओं के बारे में शासन को अवगत करा दिया गया है। खेद का विषय है कि इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जनहित में हमारे क्षेत्र ब्लाक बलदेव, मथुरा, राया, फरह व ब्लाक गोवर्द्धन में आई0टी0आई0 पाठ्यक्रम व बी0एड0 पाठ्यक्रम विद्यालयों में बिना मानकता के कार्यरत हैं तथा एक ही अनुमति-पत्र से चार-चार, पांच-पांच आई0टी0आई0 तथा अन्य विद्यालय फर्जी रूप से कार्यों में दर्शाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच कराकर विद्यालयों से करोड़ों-करोड़ों रुपये की विद्यालय से रिकवरी तथा उन विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के रामपुर-गोपीगंज मार्ग पर गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रत्नाकर मिश्र-

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत रामपुर एवं गोपीगंज को जोड़ने वाले मार्ग पर गंगा नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अवगत हैं कि जनपद मिर्जापुर एक धार्मिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध स्थल है यहां

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मां विन्ध्यवासिनी का स्थान है जिनके दर्शन हेतु पर्यटकों एवं भक्तों का आवागमन बना रहता है। उक्त वर्णित मार्ग पर गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः उक्त लोक महत्व के विषय पर पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर-शराबा उत्पन्न हो गया।
शोर-शराबे के मध्य)

[12:18] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-संसद द्वारा पारित ''संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019'' के अनुसमर्थन विषयक संकल्प पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें ले ली जायं।

2-प्रश्नकाल न हो।

3-नियम-56 एवं नियम-311 की सूचनाएं न ली जायं।

4-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं ले ली जायं।

5-नियम-51 एवं नियम-301 की सूचनाएं ले ली जायं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश सम्बन्धी जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया है और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-21 में कुछ नहीं है।

[12.19] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 31-12-2019 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 44 सूचनाएं प्राप्त हुईं, उक्त सभी सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार की गयीं :-

क्रम	नाम	विषय
1	श्री सीताराम वर्मा	जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम सरतेजपुर स्थित राम बहादुर धाम को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है,
2	श्री रवि कुमार सोनकर	जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा में रामजानकी मार्ग से चकरैला बन्द मार्ग को खोले जाने के सम्बन्ध में है,
3	श्री दलवीर सिंह	जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली अन्तर्गत स्थित सहकारी चीनी मिल से किसानों का गन्ना साबितगढ़ चीनी मिल के लिये स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में है,
4	श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा	जनपद सीतापुर के महमूदाबाद राजाकीय इण्टर कालेज लैल खुर्द में शिक्षक व अन्य स्टाफ तथा लैब आदि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है,
5	श्री कमलेश शुक्ल	जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर के अन्तर्गत गण्डक नदी के पुल पर एप्रोच रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में है,
6	श्री पंकज गुप्ता	राजकीय संयुक्त चिकित्सालय ठाकुरगंज, लखनऊ में 20 वर्ष से अधिक समय से तैनात सीनियर लैब टेक्नीशियन द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,
7	श्री देवेन्द्र कुमार निम	जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्टॉफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में है,
8	प्रिन्स वीर विक्रम सिंह	जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत धान क्रय केन्द्रों पर किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,

क्रम	नाम	विषय
9	श्रीमती राजबाला	जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र मिलक शाहाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत हुए भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,
10	श्री पारसनाथ यादव	जनपद बलिया के बेल्थरा रोड के अन्तर्गत ग्राम सभा बिठवां में चौदहवें वित्त आयोग के पैसे से कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में है,
11	श्री अमिताभ बाजपेई	नगर निगम कानपुर द्वारा कराये गये पैचवर्क कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,
12	श्री शैलेन्द्र यादल ललई	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में कतिपय विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
13	श्री विरेन्द्र कुमार यादव	जनपद जौनपुर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जीरकपुर बरईपार में फर्जी नियुक्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,
14	डॉ0 अरुण कुमार	जनपद बरेली में स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में है,
15	श्री राजकुमार अग्रवाल	जनपद लखनऊ के सूर्यनगर में लगभग 150 मीटर नाली एवं आर0सी0सी0 सड़क के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
16	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट की ग्राम सभा शेरगढ़, नौहझील तथा मांट को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है,
17	श्री सुशील कुमार शाक्य	टी0बी0 चिकित्सालय, ठाकुरगंज, लखनऊ में तैनात प्रधान सहायक एवं स्टोर कीपर के स्थानान्तरण आदेश के बाद भी कार्यमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में है,
18	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'	जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज में पेयजल सुलभ कराये जाने के सम्बन्ध में है,

क्रम	नाम	विषय
19	श्री लाल बहादुर	जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड मंझनपुर में स्टेडियम की मरम्मत एवं छात्रावास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
20	श्री लाल जी वर्मा	प्रदेश में बुनकरों की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में है,
21	श्री अजय कुमार लल्लू	यू0पी0पी0सी0एल0 के पी0एफ0 घोटाले की न्यायिक जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,
22	डॉ0 डी0सी0 वर्मा	जनपद बरेली के कस्बा फतेहगंज में बस अड्डा बनवाये जाने के सम्बन्ध में है,
23	श्री राम चन्द्र यादव	जनपद अयोध्या के श्रीराम चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय में चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है,
24	श्री धर्मपाल सिंह	जनपद बरेली की आंवला विधान सभा क्षेत्र को जनपद घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में है,
25	श्री पूरन प्रकाश	जनपद मथुरा के आई0टी0आई0 विद्यालयों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,
26	श्री संजय प्रताप जायसवाल	प्रदेश के उत्पादन लागत के अनुसार धान का समर्थन मूल्य तय किये जाने तथा सरकार द्वारा प्राइवेट धान क्रय केन्द्रों द्वारा किसानों का धान न क्रय किये जाने के सम्बन्ध में है,
27	श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट),	जनपद श्रावस्ती के निर्दोष लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने एवं अवैध बालू खनन कराये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,
28	श्रीमती सुषमा पटेल	जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुंगरा बादशाहपुर में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
29	श्री मनीष असीजा	नगर निगम फिरोजाबाद में विद्युत अवस्थापन का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है,

क्रम	नाम	विषय
30	श्री अमन मणि त्रिपाठी	जनपद महाराजगंज में ए0आर0टी0ओ0 द्वारा किये जा रहे ऑटो चालकों का उत्पीड़न रोके जाने के सम्बन्ध में है,
31	श्री बहोरन लाल मौर्य	जनपद बरेली के रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय में वेतन विसंगति को दूर किये जाने के सम्बन्ध में है,
32	डॉ0 अनिल कुमार मौर्य	जनपद लखनऊ के थाना मड़ियांव, निवासी श्री आशीष उर्फ प्रशान्त द्वारा वरीक्षा एवं गोदभराई के उपरान्त दहेज की मांग करने एवं विवाह करने से मना करने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,
33	श्रीमती जयदेवी	प्रदेश में बेराजगारों की समस्या का समाधान किये जाने के सम्बन्ध में है,
34	श्री नील रतन सिंह पटेल ''नीलू''	जनपद प्रयागराज की तहसील करछना में जमीन की पैमाइस कराये जाने के सम्बन्ध में है,
35	श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया	जनपद महोबा में मेडिकल कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में है,
36	श्री अगयश राम सरन वर्मा	प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सम्बन्ध में है,
37	श्री बम्बा लाल	जनपद उन्नाव के ब्लाक सफीपुर में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
38	डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल	जनपद गोरखपुर में अवैधानिक कालोनियों के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में है,
39	श्री राम अचल राजभर	जनपद अम्बेडकरनगर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
40	श्री विजय कुमार राजभर	जनपद मऊ की विधान सभा क्षेत्र घोसी के अन्तर्गत इंदारा रेलवे फाटक पर आर0ओ0बी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
41	श्री रमेश चन्द्र मिश्र	जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में सिंचाई की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है,

क्रम	नाम	विषय
42	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	प्रदेश में शीतलहर से जनमानस को बचाने हेतु व्यापक कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में है,
43	श्री राजीव तरारा	जनपद अमरोहा के गजरौला में हाई-वे किनारे काटी जा रही अवैध कालोनियों को रुकवाने के सम्बन्ध में तथा
44	श्री योगेश वर्मा	जनपद लखनऊ में जोन-01 यदुनाथ सान्याल वार्ड सुन्दरबाग में चल रही अवैध डेयरियों को हटाये जाने के सम्बन्ध में है।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सभी सदस्यों को नव वर्ष की शुभकामनायें

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, हम सबसे पहले सदन के सभी सदस्यों को नये साल की शुभकामनायें देते हैं। आने वाला साल सबके लिए बहुत खुशनुमा, बहुत खुशगवार गुजरे। आने वाला दिन और आने वाला महीना सभी के लिए बहुत खुशनुमा हो, बहुत खुशगवार हो।

श्री अध्यक्ष-

कृपया अपनी जगह बैठ जायें।

प्रदेश में शीतलहर से बचाव हेतु कम्बलों एवं अलाव हेतु धन अवमुक्त किये जाने की सूचना

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, एक सूचना, अभी हमारे वर्मा जी ने एक बात कही थी कि मौसम बहुत ठण्डा है। पूरे प्रदेश में कम्बलों के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने 19 करोड़ रुपया दिया है और उसके अलावा पूरे प्रदेश में अलाव जलाने के लिए भी धन अवमुक्त किया गया है। मान्यवर, अलाव और कम्बल की व्यवस्था शासन की तरफ से की गयी है।

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, प्रस्ताव करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे।

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंध-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 20 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0-61 विधान सभा (80)-06-07-2021-631 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।